




# लखनऊ विकास प्राधिकरण

की बैठक दिनांक 6.9.86

की

कार्य - सूची



# लखनऊ विकास प्राधिकरण

६, जगदीश चन्द्र बोस मार्ग,

लखनऊ

लखानऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक  
सितम्बर 6, 1986 में विचारणीय विषयों की  
कार्य-सूची  
=====

क्रम सं०	विषय	पृष्ठ सं०
1-	लखानऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 26 जुलाई, 1986 के कार्यवृत्त का पुष्टिकरण	1
2-	बीस सत्रीय कार्यक्रम के अन्तर्गत किये गये कार्यों की प्रगति आख्या ।	10
"क"	विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत भावनों की प्रगति	11
"ख"	विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत विकास कार्यों का विवरण	12
"ग"	माह अगस्त, 1986 तक प्राधिकरण के आय-व्यय का विवरण ।	23
3-	लखानऊ विकास प्राधिकरण के वादों के सम्बन्ध में मुख्य विधि सलाहकार को अधिकार प्रतिनिधानित किये जाने के सम्बन्ध में ।	25
4-	धारा-46 के अन्तर्गत इनफोर्सिमेंट के सहायक अभियन्ताओं को कुछ विधिक अधिकारों का प्रतिनिधायन	26
5-	भाखाण्ड संख्या-14ए एवं 17 ए मालश्वन्यु के सम्बन्ध में श्रीमती एस०बक्शी के प्राथनापत्र पर विचार	27
6-	आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग के व्यक्तियों को कम मूल्य के भूखण्ड उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में	29
7-	लखानऊ विकास प्राधिकरण द्वारा निर्मित दुकानों के निर्मित क्षोत्रफल एवं निर्माण लागत के आधार पर विक्रय के सम्बन्ध में ।	31
8-	विभिन्न व्यक्तियों को योजनान्तर्गत अर्जित भूमि के बदले विकसित भूमि दिये जाने के सम्बन्ध में ।	33
9-	लखानऊ नगर के बाहरी भागों में जो अनधिकृत कालोनी विकसित हो रही है, उनका नियोजित विकास ।	34
10-	लखानऊ नगर के भीतरी भागों के पुनर्विकास तथा अर्बन रिन्वुवल की योजना	35
11-	नियोजन विभाग के सुदृढीकरण हेतु पदों के सृजन की स्वीकृति के सम्बन्ध में ।	37
12-	गोमती नगर योजना/कानपुर रोड योजना के अन्तर्गत होटल के लिये भूमि दिये जाने के सम्बन्ध में ।	39
13-	कैश-लोन से सम्बन्धित योजना	43
14-	लखानऊ विकास प्राधिकरण के वरिष्ठ एवं कनिष्ठ अधिकारियों के वाहन भात्तों की बढ़ोत्तरी के सम्बन्ध में ।	46
15-	अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अन्य कोई विषय ।	

विषय संख्या: 1

विषय: लखानऊ विकास प्राधिकरण की  
बैठक दिनांक 26 जुलाई, 1986 के  
कार्यवृत्त का पुष्टिकरण।

=====

लखानऊ विकास प्राधिकरण  
की बैठक दिनांक 26 जुलाई, 1986  
का कार्यवृत्त पुष्टिकरण हेतु  
साधा में संलग्न किया जा  
रहा है।

लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक

दिनांक 26 जुलाई 1986 का कार्यवृत्त

उपस्थिति:

- |     |                        |   |
|-----|------------------------|---|
| 1-  | श्री राम कृष्ण         | अध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण एवं आयुक्त, लखनऊ मण्डल ।      |
| 2-  | श्री अखण्ड प्रताप सिंह | सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, आवास एवं नगर विकास विभाग ।         |
| 3-  | श्री गोविन्दन नायर     | उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ ।                     |
| 4-  | श्री नरेश दयाल         | जिलाधिकारी, लखनऊ ।  |
| 5-  | श्री जे०एन०सक्सेना     | संयुक्त सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, आवास एवं नगर विकास विभाग । |
| 6-  | श्री आर०के०श्रीवास्तव  | अनु सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, वित्त विभाग ।                  |
| 7-  | श्री एन०एत०जौहरी       | मुख्य ग्राम एवं नगर नियोजक उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।             |
| 8-  | डा० वी०एन०खान्ना       | सदस्य, विधान परिषद एवं सदस्य, लखनऊ विकास प्राधिकरण ।        |
| 9-  | श्री राम नगीना सिंह    | सदस्य, लखनऊ विकास प्राधिकरण ।                               |
| 10- | श्रीमती उमा त्रिपाठी   | सदस्या, लखनऊ विकास प्राधिकरण ।                              |

अन्य उपस्थिति:

श्री शैलेश कृष्ण सचिव, लखनऊ विकास प्राधिकरण ।

विषय संख्या: 1

लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 11-4-86 एवं 7-5-86 के कार्यवृत्तों का पुष्टिकरण ।

निर्णय :

पुष्टि की गई ।

विषय संख्या: 2

लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 11-4-86 एवं 7-5-86 में लिये गये निर्णयों की अनुपालन आख्या ।

निर्णय :

बैठक दिनांक 11-4-86/7-5-86 के विषय संख्या- 20 के अनुपालन में यह अंकित किया जाये कि प्राधिकरण द्वारा दी गई स्वीकृति के अनुसार विषय शासन को अन्तिम स्वीकृति के लिये भेजा गया, के त्तोधान के साथ अनुपालन आख्या का अवलोकन कर लिया गया ।

विषय संख्या: 3

निर्णय :

बीस सूत्रीय कार्यक्रम की प्रगति समीक्षा  
बीस सूत्रीय कार्यक्रम के सम्बन्ध में विचार विमर्श  
हुआ और यह निर्णय लिया गया कि वर्ष 1986  
-87 में जो लक्ष्य 3, 250 का शासन द्वारा  
निर्धारित है उसमें से 2, 000 ई0डब्लू0एस0  
भावनों का निर्माण तथा 1, 500 साइट रेण्ड  
सर्विसिज़ के भूखण्ड विकसित किये जायें ।

हडको द्वारा प्रस्तावित केश लोन स्कीम के  
सम्बन्ध में भी विचार विमर्श हुआ और  
यह निर्णय लिया गया कि साइट रेण्ड सर्विसिज़  
के मामले में अगर केश लोन दिया जाये तो  
उसके साथ कम से कम चार स्टैन्डर्ड नक्शे  
लखानऊ विकास प्राधिकरण द्वारा बनाकर  
दिये जायें ताकि आवन्टियों को नक्शे पास  
कराने की आवश्यकता न पड़े ।

इसके अतिरिक्त यह भी निर्णय लिया गया कि  
बीस सूत्रीय कार्यक्रम के अर्न्तगत हुकानों के निर्माण  
हेतु एक योजना तैयार की जाये ।

विषय संख्या: 4

निर्णय :

लखानऊ विकास प्राधिकरण के कर्मचारियों के  
दक्षतारोक पार करने के सम्बन्ध में ।

विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया कि  
दक्षतारोक पार करने के मामलों में चूकि शक्तियाँ  
अब उपाध्यक्ष स्तर पर प्रतिनिधानित की जा रही  
हैं, अतएव इस सम्बन्ध में स्वतः ही कुछ समय  
पश्चात विकास प्राधिकरण के स्तर पर  
कार्यवाही होगी । अतएव किसी निर्णय की  
आवश्यकता नहीं है । इसके अतिरिक्त जिन  
मामलों में समझा जाये कि बहुत विलम्ब हो चुका  
है उन मामलों को एकत्र करके एक सूची बना ली  
जाये और शासन के स्तर से किसी संयुक्त सचिव  
को बुलाकर एक बैठक कर ली जाये जिसमें वह  
प्रतिनिधित्व कर लें ।

विषय संख्या: 5

निर्णय :

चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के पदों के सृजन के  
सम्बन्ध में ।

विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया कि चतुर्थ  
श्रेणी के जितने भी पदों की आवश्यकता हो  
सबका विवरण बनवाकर उपाध्यक्ष, लखानऊ  
विकास प्राधिकरण शासन को औचित्य के साथ  
पत्र भेज दें ।

विषय संख्या: 6

श्री एस० मजूमदार, सलाहकार का सेवाकाल बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में ।

निर्णय :

प्रस्ताव स्वीकृत किया गया ।

विषय संख्या: 7

जनपथ व्यवसायिक केन्द्र की दुकानों को विक्रय किये जाने के सम्बन्ध में ।

निर्णय :

जनपथ व्यवसायिक केन्द्र के दुकानों का जो मूल्य निकाला गया है उस मूल्य अदायगी के विषय में विचार विमर्श हुआ और यह निर्णय लिया गया कि दुकानदारों से 75% धनराशि तीन छमाही किश्तों में जमा करा ली जाये और यदि वे समय से जमा कर देते हैं तो उन्हें 5% ब्याज की छूट दी जायेगी और किश्तों पर साढ़े बारह प्रतिशत ब्याज लगेगा । यदि वे समय से निर्धारित किश्तें नहीं जमा करते हैं तो उन्हें साढ़े सत्तर प्रतिशत ब्याज देना होगा । इस सम्बन्ध में यह भी निर्णय लिया गया कि भूमि जो लीज पर दी जायेगी वह पूरे नब्बे वर्ष की होगी और नब्बे वर्ष का लीज रेन्ट भूमि के मूल्य का दस प्रतिशत एक मुश्त जमा करा लिया जाये ।

दुकानदारों को दुकानों के ऊपर छत पर किसी प्रकार के निर्माण तथा उपयोग का अधिकार न होगा ।

इसमें यह भी निर्णय लिया गया कि जिस सिधदान्त पर इन दुकानों का विक्रय मूल्य निकाला गया है उसी आधार पर वेसमेन्ट तथा अन्य समस्त दुकानों का मूल्य निकाल कर अग्रिम कार्यवाही की जाये ।

उपरोक्त समस्त दुकानदारों को स्ट्रक्चरल चेन्ज की अनुमति नहीं दी जायेगी । वे केवल मरम्मत का कार्य ही करा सकेंगे ।

विषय संख्या: 8

अर्जन सम्बन्धी विषयों के सम्बन्ध में दिनांक 7-5-86 की बैठक में गठित उपसमिति की सत्सुतियों का अनुमोदन ।

निर्णय :

सत्सुतियाँ यथावत् अनुमोदित की गई तथा यह भी निर्देश दिया गया कि जब कभी भी भूमि अर्जित की जाये तो उसपर गुप्त-हाउसिंग को वरीयता दी जाये ।

विषय संख्या: 9

लखनऊ शहर के मध्य स्थित छोटी-छोटी योजनाओं के भूमि अर्जन के सम्बन्ध में ।

निर्णय :

विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया कि पाँच एकड़ तक की भूमि के अर्जन का प्रस्ताव उपाध्यक्ष अपने स्तर से जिलाधिकारी को प्रस्तुत कर दिया करें । प्रस्ताव प्रस्तुत करते समय यह अवश्य सुनिश्चित कर लिया करें कि लखनऊ विकास प्राधिकरण के किसी सदस्य की लिखित आपत्ति तो नहीं है । प्रस्ताव भोजने के साथ ही सीलिंग विभाग को सूचना अवश्य भेज दिया करें ।

विषय संख्या: 10

डालीबाग़ पुर्नवास योजना के भू-उपयोग परिवर्तन के सम्बन्ध में ।

निर्णय :

प्रस्ताव स्वीकार किया गया ।

विषय संख्या: 11

स्कूल भूखण्डों के सम्बन्ध में नीति निर्धारण

निर्णय :

प्रस्ताव निम्नांकित संशोधन के साथ स्वीकार किया गया :

§ 1 §

आवन्तन कमेटी में श्रीमती उमा त्रिपाठी भी सदस्य होंगी ।

§ 2 §

75 प्रतिशत विक्रय मूल्य की धानराशि तीन सालाना किरातों के बजाये पाँच सालाना किरातों में मध्य ब्याज के वसूल की जायेगी । इसके अतिरिक्त जो एक मुश्त धानराशि जमा करेंगे उन्हें सम्पूर्ण धानराशि पर 5% रिबेट दिया जायेगा जो भूमि की पूरी कीमत का 10% होगा ।

विषय संख्या: 12

रेन्ट विभाग के कर्मचारियों को इनसेन्टिव दिये जाने के सम्बन्ध में ।

निर्णय :

प्रस्ताव स्वीकार किया गया और यह निर्णय लिया गया कि यह प्रथा जून, 1987 तक लागू करके देखा जाये और यदि सफल होती है तो आगे के लिये स्वीकृति हेतु विकास प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत किया जाये ।

विषय संख्या: 13

नन्दा छोड़ा व्यवसायिक केन्द्र के निर्माण के सम्बन्ध में ।

निर्णय :

नन्दा छोड़ा व्यवसायिक केन्द्र की योजना का प्रस्ताव स्वीकार किया गया । इसमें यह भी निर्देश दिया गया कि शासनादेशों के अनुसार जो आरक्षण की स्थिति अपेक्षित है वह सुनिश्चित की जाये । काउन्टरों के मूल्य के सम्बन्ध में यह निर्णय लिया गया कि बीस-सूत्रीय कार्यक्रम के अन्तर्गत आवन्तन किया जाये ।

काउन्टर का मूल्य पाँच वर्षों में दस छमाही किश्तों में बिना ब्याज के वसूल किया जाये और यदि पैसा देने में कोई डिफाल्ट होता है तो डिफाल्ट पर 16% दण्ड ब्याज लगाया जाये। इन काउन्टरों का कृष्णा प्रथम किश्त के भुगतान के बाद दिया जाये।

विषय संख्या: 14

ला-प्लास योजना में उपलब्ध भूमि की दरों के निर्धारण के सम्बन्ध में।

निर्णय :

यथा-प्रस्तावित स्वीकृत किया गया।

विषय संख्या: 15

गोमती नगर योजना के विराम खाण्ड के अन्तर्गत विभिन्न प्रकार के भवनों के निर्माण हेतु हडको से ऋण प्राप्त किये जाने के सम्बन्ध में।

निर्णय :

प्रस्ताव स्वीकार किया गया।

विषय संख्या: 16

लखनऊ विकास प्राधिकरण में मलिन बस्ती सुधार सेल स्थापित करने के सम्बन्ध में।

निर्णय :

प्रस्ताव इस संशोधन के साथ पारित किया गया कि मलिन बस्ती के सुधार के सम्बन्ध में जो सेल गठित किया जाये उसमें तभी नान-आफिशियल सदस्य भी सम्मिलित होंगे।

विषय संख्या: 17

सरकारी विभागों/उपक्रमों द्वारा अनधिकृत निर्माण के सम्बन्ध में।

निर्णय :

विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि सरकारी उपक्रमों की जिस एजेन्सी ने अनधिकृत निर्माण किया हो या करें उस एजेन्सी के मुख्य-अधिकारी को प्राप्तीकृत किया जाये और जो जो मल्टी-स्टोरीड विल्डिंग किसी प्राइवेट या सरकारी एजेन्सी द्वारा अनधिकृत बनवाई जायें उनकी सूची बनाकर प्रस्तुत की जायें।

विषय संख्या: 18

प्राइवेट विल्डिंग को भूमि दिये जाने के सम्बन्ध में।

निर्णय :

विचारोपरान्त निम्नांकित निर्णय लिये गये :

§ 18

मे0 अन्तल हाउसिंग एण्ड लीजिंग क0 लि0, नई दिल्ली और मे0 डी0एल0एफ0 यूनिवर्सल लि0, नई दिल्ली को कानपुर रोड योजना के सेक्टर "जे", "के", "एम" व "एन" में भूमि दे दी जाये। दोनों विल्डिंग को हुनाकर उनसे विचार-विमर्श कर उपरोक्त भूमि का बटवारा कर लिया जाये।

§2§ प्रस्तावित दरें यथावत् अनुमोदित की गई ।

§3§ इस सम्बन्ध में यह भी निर्णय लिया गया कि शासन द्वारा गठित समिति के समक्ष जो अन्य प्रार्थनापत्र हैं उनकी स्फुटनी फिर से कर ली जाये । उसमें से तथा शासन द्वारा चयनित समिति द्वारा चयनित क्रम संख्या- 1, 2, 3 पर अर्कित बिल्डर्स को अन्य किसी योजना में भी भूमि देने की कार्यवाही की जाये । इस कार्यवाही के लिये एक उप-समिति गठित की जाती जिसमें निम्नांकित सदस्य होंगे :-

- 1- मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक
- 2- उपाध्यक्ष
- 3- श्री राम नगीना सिंह
- 4- डा० वी०एन०खान्ना
- 5- श्रीमती उमा त्रिपाठी

उपरोक्त उप-समिति नये बिल्डर्स का चयन करेगी तथा अन्य किसी योजना में उपलब्ध भूमि का आवन्टन करेगी एवं प्राइवेट बिल्डर्स को भूमि दिये जाने के सम्बन्ध में नियम और शर्तों की अन्तिम स्वीकृति प्रदान करेगी ।

इस उप-समिति द्वारा जो आवन्टन किया जाये उसे शासन द्वारा गठित उप-समिति के समक्ष स्वीकृति हेतु प्रस्तुत करके अनुमोदन प्राप्त करने की कार्यवाही की जाये ।

विषय संख्या: 19

लखनऊ विकास प्राधिकरण के अधिकारियों को प्रतिनिधित्वित अधिकारों के बढ़ोत्तरी के सम्बन्ध में ।

निर्णय :

विचारोपरान्त निम्न संशोधनों के साथ प्रस्ताव पारित किया गया :-

§1§ बजट प्राविधानों के अधीन वित्तीय स्वीकृति देने का अधिकार:-

- अ- ₹ 25,000/- तक अधिशासी अभियन्ता
- ब- ₹ 1,00,000/- तक मुख्य अभियन्ता / प्रोजेक्ट इन्चार्ज
- स- ₹ 5,00,000/- तक सचिव
- द- ₹ 5,00,000/- के उपर सम्पूर्ण अधिकार

§ 2§ ठेके के अनुबन्ध पत्र §कन्ट्रैक्ट्स§  
को हस्ताक्षर करने का अधिकार:

अ- रु 25,000/- तक अधिभागी अभियन्ता  
व- रु 25,000/- से अधिक धनराशि पर मुख्य अभियन्ता/  
प्रोजेक्ट इन्चार्ज

इसके अतिरिक्त यह भी निर्णय लिया गया कि वित्तीय नियमों के अनुसार निम्नतम निविदा की स्वीकृति सामान्य तौर पर दी जाती है। यदि किसी मामले में यह समझा जाये कि उससे उच्च वाले को कार्य दिया जाना उपयुक्त होगा तो सक्षम अधिकारी से अगले उच्च अधिकारी द्वारा निविदा स्वीकृत की जायेगी। यदि कोई मामला उपाध्यक्ष के स्तर पर इस तरह का आता है तो उसकी स्वीकृति अध्यक्ष महोदय से प्राप्त की जाये।

विषय संख्या: 20

हज़रतगंज स्थित मुखार्जी फ़ुहार पार्क में स्थित रेस्टोरेन्ट के सम्बन्ध में।

निर्णय : प्रस्ताव स्वीकार किया गया।

विषय संख्या: 21

श्री जीवेन्द्र नुथा कौल का प्रार्थनापत्र मोतीझील में भूखण्ड संख्या- 51 के आवन्टन हेतु।

निर्णय : विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि इस सम्बन्ध में एक उप-समिति गठित कर दी जाये जिसमें निम्नांकित सदस्य होंगे, जो विनियमहीनता के लिये प्राधिकृत होंगे:

- 1- उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण
- 2- डा0 खान्ना, वी0एन0
- 3- सचिव, लखनऊ विकास प्राधिकरण।

विषय संख्या: 22

दि पायनियर प्रेस भवन के भू-उपयोग परिवर्तन के सम्बन्ध में।

निर्णय : विचार विमर्श के दौरान पायनियर प्रेस द्वारा दिये गये प्रार्थनापत्र पर पुनः विचार किया गया और उसमें यह पाया गया कि उपरोक्त भूमि को कार्यालय उपयोग के लिये संस्तुति करके शासन को पत्र भेजा जाये। इसमें कार्यालय उपयोग हेतु जो एफ0ए0आर0 निर्धारित है वही दिया जायेगा। शासन के प्रतिनिधि ने यह अवगत कराया कि शासन के स्तर पर कनवर्जन चार्जेज का प्रस्ताव विचाराधीन है। अतः इस संस्तुति में संस्था पर कनवर्जन चार्जेज आदि अवश्य लगाया जाये जो भी कनवर्जन चार्जेज निर्धारित हों उनसे लिया जाये।

विषय संख्या: 23

कल्याण मण्डपम के निर्माण हेतु टी०टी०डी०  
वेलफेयर डिपार्टमेंट को भूमि आवंटन के  
सम्बन्ध में ।

निर्णय :

विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि  
टी०टी०डी० वेलफेयर डिपार्टमेंट को 2.5 एकड़  
भूमि लीजरेन्ट रु० 11/- प्रतिवर्ष की दर  
पर इस शर्त पर दे दी जाये कि यह किसी  
धार्मिक प्रयोग में नहीं लाया जायेगा ।  
उपाध्यक्ष अपने स्तर पर उपयुक्त भूमि का चयन  
कर लेंगे ।

विषय संख्या: 24

माल एवन्गु में भूखण्ड संख्या- 14 ए एवं  
17 ए, डा० एच०एन०हुक्कु के सम्बन्ध में विचार ।

निर्णय :

इस सम्बन्ध में विचार विमर्श किया गया  
और यह निर्णय लिया गया कि श्रीमती  
एस०वक्षी को 1250 वर्गमीटर भूमि दे दी  
जाये ताकि वाद समाप्त हो जाये और  
लखानऊ विकास प्राधिकरण अपनी योजना  
का कार्यक्रम प्रारम्भ करें । भूमि का मूल्य  
श्रीमती वक्षी से रु० 10/- प्रति वर्गफुट की  
दर से लिया जाये और इस मामले को अन्तिम  
स्थ देने से पहले श्रीमती वक्षी से विचार विमर्श  
भी कर लिया जाये ।

विषय संख्या: 25

भूखण्ड संख्या- 152, शेषावागु पान्डेय तालाव  
के आवासीय भू-उपयोग में परिवर्तन किया जाना ।

निर्णय :

शासन को भू-उपयोग परिवर्तन के लिये  
प्रस्ताव भेज दिया जाये ।

विषय संख्या: 26

लालवागु व्यवसायिक एवं आवासीय योजना  
हेतु भूमि अर्जन ।

निर्णय :

निर्णय लिया गया कि उपरोक्त भूमि का  
वह भाग अर्जित कर लिया जाये जिसके बारे  
में भूमि के मालिक की सहमति हो और  
शोषा के लिये वाद में पुनः प्रस्ताव प्रस्तुत किया  
जाये ।

विषय संख्या: 27

टिकैतराय तालाव सौन्दर्यीकरण एवं आस-पास  
के क्षेत्र पर आवासीय योजना हेतु 10.69 एकड़  
भूमि का अर्जन ।

निर्णय :

प्रस्ताव स्वीकार किया गया ।

विषय संख्या: 28

निराला नगर हाउसिंग स्कीम फेज-1 के लिये भूमि का अर्जन ।

निर्णय :

विचारोपरान्त सामान्य तौर पर निर्णय लिया गया कि जिन भूखण्डों पर निर्माण आरम्भ हो रहे हों उनपर अर्जन की कार्यवाही ज्ञाप कर दी जाये ।

विषय संख्या: 29

एशियन होटल लि० को गोमती नगर योजना में भूमि दिये जाने के सम्बन्ध में ।

निर्णय :

विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि प्राइवेट विल्डर्स के सम्बन्ध में गठित उप-समिति द्वारा शर्तें तय कर ली जायें ।

EO/-

॥ गोविन्दन नायर ॥  
उपाध्यक्ष  
लखनऊ विकास प्राधिकरण

EO/-

॥ प्रौद्योगिक कृष्ण ॥  
सचिव  
लखनऊ विकास प्राधिकरण

अ नु मी दि त

EO/-

॥ राम कृष्ण ॥  
आयुक्त, लखनऊ मण्डल एवं  
अध्यक्ष, लखनऊ विकास  
प्राधिकरण, लखनऊ ।

## बीस द्वितीय कार्यक्रम के अन्तर्गत लखनऊ विकास प्राधिकरण

## द्वारा माह अगस्त 1986 में हुई प्रगति का विवरण

सूत्र सं०	कार्यक्रम	विगत वर्ष 1985-86 की उपलब्धि	वर्ष 86-87 का लक्ष्य	माह की उपलब्धि	कृमिक उपलब्धि	विवरण
10	1- ई0डब्लू0एस0 भवन का निर्माण	3187	3250	65		
	2- साइट/सर्विसेज प्लानों का निर्माण	2050		25		
		5237	3250	90	390	12%

- नोट : 1- अनुसूचित जाति/जनजाति के लिये शासन  
द्वारा निर्धारित नियम के अनुसार आवंटन होता है ।
- 2- निर्माणाधीन ई0डब्लू0एस0 भवन एवं  
साइट/सर्विसेज भूखण्डों की संख्या - 512

विकास प्राधिकरण के विभिन्न अभियन्त्रण खण्डों की प्रगति 31 अगस्त 1986 तक

खण्ड का नाम	साइट खण्ड सर्किल			ई0डब्लू0एस0			एस0आई0जी0			एस0आई0जी0			एस0आई0जी0			विवरण
	लक्ष	पूर्ण	प्रगति	लक्ष	पूर्ण	प्रगति	लक्ष	पूर्ण	प्रगति	लक्ष	पूर्ण	प्रगति	लक्ष	पूर्ण	प्रगति	
खण्ड-1	500	---	---	32	---	32	24	---	---	118	94	16	2	---	---	का0रो0यो0से-डी-1
खण्ड-2	184	---	---	101	---	---	194	---	123	130	---	12	168	---	---	गो0न0यो0विव व विकासखण्ड
खण्ड-3	---	---	---	---	---	---	---	---	---	203	---	321	---	---	---	सीतापुररोड यो-स0-ए एवं बी,
खण्ड-5	300	---	---	---	---	---	---	---	---	150	25	---	---	---	---	सीतापुर रो0यो0सेक्टर "सी"
खण्ड-6	300	---	---	---	---	---	100	---	---	571	108	442	126	---	90	टिकैतरांय योजना
खण्ड-8	178	100	50	103	80	20	40	40	---	266	114	152	553	66	487	गो0नं0यो0विवेक,
खण्ड-10	---	---	---	485	50	420	200	150	50	624	136	321	209	101	108	विश्वास, पत्रकारपुरा विभाग एवं विभाग
खण्ड-11	764	225	539	306	31	252	143	60	83	13	---	---	41*	105	25	का0रो0यो0सेक्टर जी एवं एच,
योग:-	2226	325	589	1024	161	724	701	250	256	2075	477	1264	1099	272	710	

§1§ लाप्लास बहुखण्डीय आवासीय योजना - 140 में से 88 भावन पूर्ण ।

§2§ कैलाश कुंज व्यावसायिक योजना - 58% प्रगति ।

४।१४ सीतापुर रोड योजना: ०

४अ४ सडक:

सेक्टर "सी" में 5929 मीटर लम्बाई की सडके बननी है, इसमें से 5000मीटर पर कन्सालिडेशन का कार्य हो चुका है, कार्य प्रगति में है, माह दिसम्बर तक सभी सडकों पर पेन्टिंग हो जायेगी ।

सेक्टर "एफ" एवं "जी" में कुल 14.99 किमी० सडक का निर्माण होना है इन सभी सडकों पर कार्य प्रगति पर है, अभी कटिंग एवं फिलिंग का कार्य चल रहा है, इस वित्तीय वर्ष में 60% कार्य पूर्ण हो जायेगा ।

सेक्टर "ए" में 3.87 किमी० लम्बाई में सडक बनायी जानी है, जिसमें से 1.20किमी० तक कार्य पूर्ण हो चुका है, शेष कार्य प्रगति पर है, जो दिनांक 30.11.86 तक पूर्ण हो जायेगा ।

सीतापुर रोड योजना के अन्तर्गत 3.8किमी० लम्बी जोनलरोड जिसकी लागत रु० 45.00 लाखा है, का निर्माण किया जा रहा है, जिसमें मिट्टी कटाई का कार्य 25 प्रतिशत एवं सोलिंग का कार्य लगभग 16 प्रतिशत पूर्ण हो चुका है । कार्य प्रगति पर है ।

४ब४ सीवर:

सीतापुर रोड योजना के अन्तर्गत 3658मीटर लम्बाई में सीवर लाइन पडनी है, जिसमें से 3000मीटर सीवर लाइन का कार्य पूर्ण हो चुका है, कार्य प्रगति पर है ।

सेक्टर "जी" एवं "एफ" में लगभग 15.31किमी० सीवर लाइन प्रस्तावित है । कार्य प्रगति पर है, पाइपों की आपूर्ति हो चुकी है, इसी वित्तीय वर्ष में कार्य पूर्ण हो जायेगा ।

सेक्टर "ए" में 3870मीटर सीवर लाइन का कार्य पूर्ण हो चुका है ।

४स४ वाटरमेन:

सीतापुर रोड योजना के सेक्टर "सी" में 5.10किमी०लम्बाई में वाटरलाइन पडनी है, जिसमें से 3.50 किमी० लाइन डाली जा चुकी है, शेष कार्य प्रगति पर है । उक्त कार्य दिसम्बर, 86 तक पूर्ण होने की सम्भावना है ।

सेक्टर "जी" एवं "एफ" में वाटर लाइन की निविदास्वीकृत हो चुकी है । इस वित्तीय वर्ष में 60 प्रतिशत कार्य पूर्ण हो जायेगा ।

सेक्टर "ए" में 3800मीटर लाइन बिछाने का प्राविधान है, जिसमें से 3700मीटर लाइन बिछाई जा चुकी है, शेष कार्य प्रगति पर है जो दिनांक 30.9.86 तक पूर्ण हो जायेगा ।

सीतापुर रोड योजना में तीन ओवर हेड टैंक का निर्माण किया जाना था, जिसके अन्तर्गत सेक्टर "ए" के ओवर हेड टैंक का 85% निर्माण पूर्ण हो चुका है, सेक्टर "डी" के ओवर हेड टैंक का 80% कार्य पूर्ण हो चुका है, एवं सेक्टर "एफ" एवं "जी" में ओवर हेड टैंकके निर्माण हेतु निविदा स्वीकृत में है । सेक्टर "डी" में दो पम्प हाउसों का निर्माण किया जा चुका है, इस

योजना में सेक्टर "एफ" एवं "जी" में मुख्य जल नलिकायें बिछाने के व्ययानुमान स्वीकृति में है ।

॥ द ॥ के०सी०इन:

सीतापुर रोड योजना के सेक्टर "सी" में 8 किमी० लम्बाई में नालियां बननी है, जिसमें से 7.50किमी० लम्बाई में नालियों का कार्य पूर्ण हो चुका है, शेष कार्य प्रगति पर है । माह दिसम्बर, 86 तक पूर्ण हो जायेगा ।

सेक्टर "ए" में 7400मीटर नाली का निर्माण प्रस्तावित था जिसमें से 3300 मीटर नाली का निर्माण किया जा चुका है, शेष कार्य प्रगति में है, जो दिनांक 30.11.86 तक पूर्ण हो जायेगा ।

सीतापुर रोड योजना में नालों के निर्माण की योजना रु० 43.00लाखा की तैयार कर स्वीकृत हेतु अग्रसारित कर दी गई है ।

॥ य ॥ बिजली:

सीतापुर रोड योजना के सेक्टर "ए" में विशेष भाग का 80टी०मेन्स का कार्य काफी समय पूर्व में कराया जा चुका है, जिसका हस्तान्तरण राज्य विद्युत परिषद को किया जा चुका है, सेक्टर "ए" के शेष भाग में विद्युतीकरण के कार्य हेतु निविदाएं आमंत्रित की जा चुकी है जो स्वीकृति में हैं ।

सीतापुर रोड योजना के सेक्टर "बी" में विद्युतीकरण के कार्य हेतु निविदाएं आमंत्रित की जा चुकी है, जो स्वीकृति में हैं ।

सीतापुर रोड योजना के सेक्टर "सी" में विद्युतीकरण का कार्य प्रगति पर है लगभग 50% कार्य हो चुका है, शेष कार्य दो माह में समाप्त हो जायेगा ।

सीतापुर रोड योजना के सेक्टर "डी" में विद्युतीकरण के कार्य की निविदा स्वीकृति हो चुकी है, सामान स्थल पर आ चुका है, कार्य शीघ्र ही प्रारम्भ हो जायेगा ।

सीतापुर रोड योजना के सेक्टर "ई", "एफ" एवं "जी" में अभी कोई विकास कार्य नहीं किया गया है, अतः फ्लिहाल इन छाण्डों में विद्युतीकरण की कोई आवश्यकता नहीं है ।

सीतापुर रोड योजना में सभी छाण्डों को इनरजाइज करने के लिए कम्पोजिट मेन्स कार्य कराया जाना है, जिसके लिए व्ययानुमान बना दिया गया है, जो स्वीकृति में है । व्ययानुमान में प्रयुक्त मदों एवं स्टा का निर्धारण लेसू द्वारा अनुमोदित कर दिया गया है ।

॥ 2 ॥ गोमतीनगर योजना:

॥ अ ॥ विकास छाण्ड:

॥ 1 ॥ सड़क:

कुल लम्बाई 13.50किमी० है, सड़क पर सोलिंग 1.76किमी० लगाई गई है, एवं 6 किमी० में सोलिंग इस वित्तीय वर्ष में लगाने का प्राविधान है ।

॥ 2 ॥ सीवर:

कुल 13.50किमी० सीवर लाइन बिछाई जानी है, जिसमें से 1.10 किमी० इस वर्ष लगायी गई है ।

- ३३ वाटरमेन: कुल 16.60 किमी० लम्बाई में वाटरमेन बिछाई जा चुकी है, जिसमें से इस वर्षा 1.60 किमी० लाइन बिछाई गई है।
- ३४ बिजली: बिजली के लिए काफी समय पूर्व व्ययानुमान स्वीकृत किये जा चुके हैं।
- ब विभूतिखाण्ड:
- ३१ सडक: इस खाण्ड में 24 मीटर एवं 30 मीटर चौड़े जोनल रोड का निर्माण होना है, जिसकी कुल लम्बाई 7.70 किमी० है, जिसमें से 4.50 किमी० में सोलिंग लग चुकी है, गिट्टी आ रही है, तथा 0.40 किमी० से आगे फारमेशन हो रही है।
- ३२ सीवर: कुल लम्बाई 6.50 किमी० है, जिसमें से 1.50 किमी० लाइन बिछाई जा चुकी है। शोषा कार्य वर्षा के कारण बन्द है।
- ३३ वाटरमेन: कुल लम्बाई 6.50 किमी० है, जिसमें से 1.20 किमी० लाइन बिछाई जा चुकी है, शोषा कार्य प्रगति पर है।  
इस खाण्ड में दो ओवर हेड टैंकों का निर्माण होना है, लगभग औसत 10 मीटर स्टेजिंग हो चुकी है।
- ३४ बिजली: -
- स विराम खाण्ड:
- ३१ सडक: कुल लम्बाई 11.00 किमी० है, सडक पर सोलिंग 1.10 किमी० लगाई गयी है, एवं 6.0 किमी० लम्बाई में लगाने का प्राविधान है।
- ३२ सीवर: कुल 13.20 किमी० सीवर लाइन बिछाने का प्राविधान है, जिसमें से 1.40 किमी० इस वर्षा लगाई गई है।
- ३३ वाटरमेन: कुल लम्बाई 13.20 किमी० है।
- ३४ बिजली: विराम खाण्ड के पूर्ण विकसित भाग में एल०टी० मेन्स का कार्य कराया जा चुका है, शोषा भाग में सडकों का निर्माण विद्युतीकरण की दृष्टि से पूर्ण न होने के कारण विद्युतीकरण का कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया है।
- द विवेक खाण्ड:
- ३१ सडक: इस खाण्ड में कुल 20 किमी० सडकों में से 18 किमी० सडकों का निर्माण पूर्ण हो चुका है, साथ ही उन पर प्रथम कोट पेटिंग भी हो चुकी है, शोषा 2 किमी० सडक पर केवल प्रथम कोट पेटिंग का कार्य शोषा है, जो वर्षा के कारण रुका हुआ है। वर्षा ऋतु समाप्त होते ही कार्य पूर्ण कर दिया जायेगा।
- ३२ सीवर: उक्त खाण्ड में सीवर लाइनें पूर्व में ही बिछाई जा चुकी है।
- ३३ वाटरमेन: उक्त खाण्ड में पानी की लाइनें बिछाई जा चुकी है, केवल 1/10 भाग में डाली गई लाइनों में पानी अभी नहीं उपलब्ध है, जिसमें पानी पहुँचाने का प्रयास किया जा रहा है। ..... ३४

४४

४४ पार्क: इस छाण्ड में कुल 27 पार्क है, जिसमें से सभी पार्कों की दीवारें पूर्ण कर दी गई है ।

४५ बिजली: विवेक छाण्ड में पूर्व विकसित क्षेत्र में कम्पोजिट मेन्स एवं एल0टी0 मेन्स का कार्य पूर्ण कराकर इनरजाइज कराया जा चुका है । बाद में विकसित क्षेत्र के विद्युतीकरण हेतु व्ययानुमान स्वीकृति हेतु भोजा जा र चुका है ।

४६ पत्रकारपुरम्:

४१ सड़क: इस क्षेत्र में कुल 2.25किमी0 सड़क बननी थी, सभी सड़कों पर सोलिंग लगा दी गई है । इस क्षेत्र में भावन निर्माण पूर्ण होते ही कन्सालिडेशन का कार्य पूर्ण करवा दिया जायेगा ।

४२ सीवर: पूर्ण है ।

४३ वाटरमेन: पूर्ण है ।

४४ पार्क: पूर्ण है ।

४५ बिजली: पूर्ण है ।

४७ विश्वास छाण्ड:

४१ सड़क: इस छाण्ड में प्रस्तावित कुल 10.5किमी0 सड़कों में से 5.20किमी0 सड़कों का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है । शेष में सोलिंग लगायी जा चुकी है, कन्सालिडेशन का कार्य प्रगति पर है ।

४२ सीवर: सीवर की लाइनें बिछाई जा चुकी है ।

४३ वाटरमेन: पूरे क्षेत्र में वाटरमेन की लाइनें बिछाई जा चुकी हैं ।

४४ बिजली: विश्वास छाण्ड में पूर्ण विकसित भाग में कम्पोजिट मेन्स तथा एल0टी0मेन्स का कार्य पूर्ण कराया जा चुका है । बाद में विकसित क्षेत्र के विद्युतीकरण के लिए व्ययानुमान स्वीकृति हेतु भोजा जा चुका है ।

४८ विनय छाण्ड:

४१ सड़क: इस कार्य के अन्तर्गत 16.25किमी0 सोलिंग लगाना प्रस्तावित है, तथा 8 किमी0 कन्सालिडेशन तथा 8 किमी0 पेन्टिंग का कार्य इस वित्तीय वर्ष में किया जाना है जिसमें से 14.25किमी0 सोलिंग बिछाना, 2.5किमी0 कन्सालिडेशन का कार्य किया जा चुका है ।

४२ सीवर: इस छाण्ड में 75किमी0 सीवर लाइन बिछाने का प्राविधान था जिसमें से 7.5किमी0 सीवर लाइन बिछाई जा चुकी है, शेष अगले दो माह में पूर्ण कर दी जायेगी ।

४३ वाटरमेन: उक्त कार्य के अन्तर्गत 15किमी0 वाटर लाइन बिछाने का कार्य किया जाना है, जिसमें से 10किमी0 लाइन बिछाई जा चुकी है, शेष दो माह दिसम्बर, 86 तक पूर्ण कर दी जायेगी ।

..... ४५

॥4॥ पार्क: उक्त छाण्ड में 38 पार्कों का निर्माण किया जा चुका है, जिन्हें विकसित किया जा रहा है।

॥5॥ बिजली: इस छाण्ड में कम्पोजिट एवं एल0टी0मेन्स का निर्माण प्रगति पर है। उक्त क्षेत्र के समस्त विकसित भाग में खम्बें लगाये जा चुके हैं, तथा कन्डक्टर लगाने का कार्य प्रगति पर है।

॥स॥ विजय छाण्ड:

॥1॥ सड़क: इस छाण्ड में 8.10किमी0 सड़क का प्राविधान था, जिसमें से 4.50किमी0 सोलिंग, 1.50किमी0कन्सालिडेशन एवं 1.50किमी0 में पेन्टिंग का कार्य पूर्ण हो चुका है, शेष प्रगति में है।

॥2॥ सीवर: इस छाण्ड में 6.90किमी0 लाइन बिछाई जानी है, जिसमें से 2.90किमी0 लाइन बिछाई जा चुकी है, शेष कार्य प्रगति में है।

॥3॥ वाटरमेन: कुल 7.50किमी0 वाटरमेन लाइन बिछाई जानी थी, जिसमें से 4.00किमी0 लाइन बिछाई जा चुकी है तथा शेष कार्य प्रगति में है।

॥4॥ पार्क: कुल 8 पार्क का निर्माण प्रस्तावित है, जिसमें से 6 पार्कों का निर्माण पूर्ण हो चुका है तथा शेष कार्य प्रगति में है।

॥5॥ बिजली: विजय छाण्ड के विकसित क्षेत्र में विद्युतीकरण का कार्य पूर्ण हो चुका है। मात्र इन्हें लेसू से इनरजाइज कराने का कार्य शेष है।

॥श॥ विशाल छाण्ड:

॥1॥ सड़क: कुल 21.65किमी0 सड़क का निर्माण होना है, जिसमें से 12.00 किमी0 रोड का निर्माण हो चुका है, शेष 9.65 किमी0 सड़क का निर्माण प्रगति पर है। 12 किमी0 रोड में से 1 किमी0 पर कन्सालिडेशन का कार्य पूर्ण हो चुका है, शेष कन्सालिडेशन का कार्य प्रगति में है। साथ ही अभी पेन्टिंग का कार्य शुरू नहीं किया गया है। बरसात के बाद कार्य शुरू किया जायेगा।

॥2॥ सीवर: कुल 19.00किमी0 सीवर लाइन बिछाने का कार्य होना है, जिसमें से 6 किमी0 सीवर लाइन बिछाई जा चुकी है, शेष 13किमी0 सीवर लाइन डालने का कार्य प्रगति पर है।

॥3॥ वाटरमेन: कुल 19.00किमी0 वाटरलाइन बिछाने का कार्य होना है, जिसमें से 6किमी0 लाइन बिछाई जा चुकी है तथा 13किमी0 लाइन डालने का कार्य प्रगति पर है।

॥4॥ पार्क- कुल 51 पार्क का प्राविधान है, जिसमें से 42 पार्क विकसित किये जा चुके हैं, शेष 9 प्रगति में हैं।

॥5॥ बिजली: विशाल छाण्ड में कम्पोजिट मेन्स तथा एल0टी0मेन्स का कार्य प्रारम्भ किया गया था परन्तु सीवर कार्यों से सम्बन्धित खूदाई के कारण कार्य कुछ समय के लिए रोक दिया गया था वर्तमान में कार्य पुनः प्रारम्भ किया जा चुका है।

१३१

## " कानपुर रोड योजना "

१३२ सेक्टर "एफ"

- १११ सड़क: इस सेक्टर में 3 किमी० सड़क का प्राविधान था, जिसे पूर्ण किया जा चुका है ।
- १२१ सीवर: इस सेक्टर में 3 किमी० सीवर का प्राविधान था, जिसे पूर्ण करा दिया गया है ।
- १३१ वाटरमेन: इस सेक्टर में 2.5 किमी० वाटरमेन लाइन बिछाने का प्राविधान था, जिसे पूर्ण करा दिया गया है ।
- १४१ पार्क: चार पार्कों का निर्माण किया जा चुका है ।
- १५१ बिजली: विद्युतीकरण का कार्य पूर्ण कराया जा चुका है, इस सम्बन्ध में लसू से कार्यवाही पूर्ण करायी जा चुकी है, एवं उनकी मांग के अनुसार उन्हें सामग्री विभाग द्वारा उपलब्ध करायी जा चुकी है ।

१३३ हिन्दनगर:

- १११ सड़क: इस सेक्टर में 0.6 किमी० सड़कों का कार्य कन्सालिडेशन तक पूर्ण किया जा चुका है । पेन्टिंग का कार्य किया जाना शेष है ।
- १२१ सीवर: इस सेक्टर में 0.6 किमी० सीवर लाइन बिछाई जा चुकी है ।
- १३१ वाटरमेन: इस सेक्टर में 0.6 किमी० वाटरमेन लाइन बिछाई जा चुकी है ।
- १४१ पार्क: इस सेक्टर में एक पार्क का निर्माण कार्य पूर्ण किया जा चुका है ।
- १५१ बिजली: इस सेक्टर में विद्युतीकरण के कार्य 2.5 मे० रचना इलेक्ट्रिकल्स द्वारा कराया गया था, जो अधूरा था, जिसके लिए ठेकेदार को ब्लेक लिस्ट कर दिया गया है एवं कार्य दूसरी एजेंसी से कराया जायेगा जिसमें लगभग 2 माह का समय लगेगा ।

१३४ सेक्टर "ई"

- १११ सड़क: सड़क का कार्य पूर्ण किया जा चुका है ।
- १२१ सीवर: सीवर लाइन बिछाने का कार्य पूर्ण हो चुका है केवल 2 किमी० लाइन इस वित्तीय वर्ष में बिछाने का प्राविधान है ।
- १३१ वाटरमेन: वाटरमेन बिछाने के कार्य पूर्ण किये जा चुके हैं ।
- १४१ बिजली: सेक्टर ई में विद्युतीकरण का कार्य पूर्ण किया जा चुका है ।

१३५ सेक्टर "डी-1"

- १११ सड़क: इस सेक्टर में 7 किमी० तोलिंग पूर्ण करायी जा चुकी है, तथा 4 किमी० मेटलिक सड़क का कार्य पूर्ण किया जा चुका है। लगभग एक किमी० मेटलिक सड़क का निर्माण कार्य इस वर्ष में कराया जा चुका है, तथा एक किमी० सड़क का कार्य इस वित्तीय वर्ष में कराया जाना है, साथ ही 24 किमी० के०सी० ड्रेन का कार्य भी पूर्ण किया जा चुका है ।
- १२१ सीवर: सीवर का कार्य 12 किमी० तक पूर्ण किया जा चुका है ।

§7§

- §3§ वाटरमेन: इस सेक्टर में 10.50 किमी० पानी की लाइन बिछाई जा चुकी है।
- §4§ पार्क: इस सेक्टर में 10 पार्कों का कार्य पूर्ण कराया जा चुका है, पार्कों में रेलिंग वारवेड वायर फिनिशिंग का कार्य इस वित्तीय वर्ष में कराया जाना है।
- §5§ बिजली: सेक्टर "डी-1" को सेक्टर "एफ" के साथ एल०टी०मेन्स जोड़कर इनरजाइज करने हेतु केवल डाल दिया गया है, परन्तु लैसू द्वारा एच०टी०लाइन का कार्य पूर्ण न होने के कारण कार्य रुका हुआ है, इसे शीघ्र पूर्ण कराने का प्रयास किया जा रहा है, शेष कार्य के लिए निविदाएं आमंत्रित की जा चुकी हैं, जो स्वीकृति में हैं।

§य§ सेक्टर "बी"

यह सेक्टर पूर्ण रूप व्यवसायिक सेक्टर है।

- §1§ सड़क: 75 प्रतिशत सड़क का कार्य व्यवसायिक भूखण्डों के तल निश्चित न होने के कारण नहीं कराया जा रहा है।
- §2§ सीवर: 50 प्रतिशत सीवर का कार्य भी भूखण्डों के तल निश्चित न होने के कारण नहीं कराया जा रहा है।
- §3§ वाटरमेन: अवशेष वाटरमेन का कार्य भी भूखण्डों के तल निश्चित न होने के कारण नहीं कराया जा रहा है।
- §4§ एस०डब्लू०ड्रेन: 44 प्रतिशत कार्य भूखण्डों के तल निश्चित न होने के कारण नहीं कराया जा रहा है।
- §5§ बिजली: विद्युतीकरण का कार्य फिलहाल आवश्यकता न होने के कारण नहीं कराया जा रहा है।

§र§ सेक्टर "सी"

इस सेक्टर में सुविधेक गृह निर्माण समिति द्वारा ब्रिज हाईकोर्ट से स्टे ले लेने के कारण सभी विकास कार्य रुके हुए हैं।

§ल§ सेक्टर "सी-1"

- §1§ सड़क: इस सेक्टर में सड़क का निर्माण पूर्ण किया जा चुका है।
- §2§ सीवर: इस सेक्टर में सीवर हेतु निविदा स्वीकृत हो चुकी है।
- §3§ वाटरमेन: इस सेक्टर में 65 प्रतिशत कार्य पूर्ण हो चुका है।
- §4§ बिजली: इस सेक्टर में विद्युतीकरण का कार्य किया जा रहा था, किन्तु कार्य ठेकेदार द्वारा अधूरा छोड़ दिया गया है, जिसके लिए उसे ब्लैक लिस्ट कर दिया गया है, साथ ही बचे कार्य को अन्य एजेंसी से कराया जायेगा, जो लगभग दो माह में पूर्ण हो जायेगा।
- §5§ के०सी०ड्रेन: इस सेक्टर में 95 प्रतिशत के०सी०ड्रेन का निर्माण पूर्ण किया जा चुका है।

§व§ सेक्टर "डी"

- §1§ सड़क: सड़क पूर्ण है। फ्रिंथम कोट पेन्टिंग का कार्य प्रगति में है।
- §2§ सीवर: पूर्ण है।
- §3§ वाटरमेन: पूर्ण है।
- §4§ बिजली: उक्त सेक्टर में विद्युतीकरण का कार्य पूर्ण हो चुका है, साथ ही स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था भी पूर्ण कर दी गई है।

११११ सेक्टर "जी"

- ११११ सडक: सडक का कार्य 66 प्रतिशत पूर्ण हो चुका है ।  
 १११२ सीवर: 98 प्रतिशत सीवर लाइन विछाई जा चुकी है ।  
 १११३ वाटरमेन: 98 प्रतिशत वाटरमेन लाइन विछाई जा चुकी है ।  
 १११४ विजली: विद्युतीकरण का कार्य पूर्ण किया जा चुका है, जिसके इनरजाइज की कार्यवाही चल रही है । इसे शीघ्र इनरजाइज किया जायेगा ।

१११२ सेक्टर "एच"

- १११२ सडक 61 प्रतिशत सडक का कार्य पूर्ण किया जा चुका है ।  
 १११३ सीवर: 82 प्रतिशत सीवर लाइन विछाई जा चुकी है ।  
 १११४ वाटरमेन: 61 प्रतिशत पानी की लाइनें विछाई जा चुकी है ।  
 १११५ विजली: इस सेक्टर में विजली के पोल लगाये जा चुके हैं, एवं आशा की जाती है कि सितम्बर, 86 तक विद्युतीकरण का कार्य पूर्ण हो जायेगा ।

१११३ सेक्टर "जे"

- १११३ इस सेक्टर में केन्द्रीय कर्मचारियों के आवास की योजना स्वीकृति में है, विकास कार्य योजना की स्वीकृति के उपरान्त कराये जायेंगे ।

१११४ जोनल कार्य:

- १११४ सडक: केवल 12 किमी० जोनल सडकों का निर्माण कार्य कराया जाना है, जिसमें लगभग 2.6 किमी० तक सोलिंग का कार्य पूर्ण हो गया है, सडकों का कार्य प्रगति में है ।  
 १११५ सीवर: लगभग 7 किमी० ट्रंक सीवर का कार्य पूर्ण किया जा चुका है, लगभग 5 किमी० सीवर का कार्य किया जाना शेष है ।  
 १११६ एस०डब्लू०ड्रेन: लगभग 5.6 किमी० एस०डब्लू०ड्रेन का कार्य किया जा चुका है अब लगभग 10 मीटर एस०डब्लू०ड्रेन का कार्य किया जाना है ।  
 १११७ पम्प हाउस: सेक्टर "एफ" में एक, सेक्टर "जी" में दो, सेक्टर "डी-1" में 1 एवं सेक्टर "डी" में दो । इस तरह कुल मिलाकर 6 पम्प हाउस का निर्माण किया जा चुका है तथा वोरिंग भी की जा चुकी है ।

१११८ सिन्डर्स डम्प योजना:

इस योजना के समस्त विकास कार्य पूर्ण किये जा चुके हैं, इस वित्तीय वर्ष में एक किमी० यू०सेफ ड्रेन एवं 1.6 किमी० के० सी० ड्रेन का निर्माण कार्य किया जाना है । 500 मीटर एस० डब्लू०ड्रेन का निर्माण किया जा चुका है ।

४४

अन्य योजनाएंअलीगंज योजना:

अलीगंज योजना में इस वित्तीय वर्ष में सेक्टर "डी/एस" एवं सेक्टर "ई" के विकास कार्य किये जाने थे, जो कि लगभग 80 % पूर्ण हो चुके हैं। अलीगंज की 80 फुट चौड़ी सड़कों का सुधार लगभग ₹ 40.00 लाखा की लागत से किया जाना है, जिसके समक्ष लगभग ₹ 15.00 लाखा की लागत से सड़कों के कार्य प्रगति पर हैं, वर्षा काल बाद ग्राउटिंग एवं पेवर का कार्य किया जा सकेगा। अलीगंज योजना में लगभग 11.00 लाखा रुपये की लागत से विभिन्न सेक्टरों में जल निकासी हेतु नालों का निर्माण कार्य आरम्भ कर दिया गया है, अभी 10 प्रतिशत कार्य किया गया है इस योजना की टूक सीवर योजना हेतु ₹ 2.40 लाखा की तैयार कर जल निगम को भोजी गई है। जिसकी जांच जल निगम द्वारा की जा रही है।

पेय जल पूर्ति हेतु अलीगंज योजना में ₹ 20.00 लाखा की लागत से चार नलकूप निर्मित किये जाने हैं जिसका कार्य जल निगम को सौंपा गया है।

अलीगंज योजना के पार्कों के सुधार हेतु ₹ 3.35 लाखा के प्राविधान समक्ष लगभग 20 प्रतिशत कार्य किया जा चुका है।

वृ महानगर योजना:

महानगर योजना के सीवर के सुधार हेतु शासन से ₹ 60.00 लाखा का अनुदान उपलब्ध कराया गया है, जिसके अन्तर्गत महानगर के जोन-1 एवं जोन-2 के सीवर सुधार कार्य आरम्भ किया गया है उक्त दोनों जोनों में लगभग 4.9 किमी० सीवर डाला जाना है, जिसके समक्ष अब तक 1800 फिट सीवर डाला जा चुका है।

स३ राधाग्राम योजना:

३३ सड़क: इस योजना में 3.3 किमी० सड़कों का निर्माण होना है, जिसमें से लगभग ३50 मीटर सड़कों पर पेन्टिंग तक का कार्य पूर्ण हो चुका है, इसके अतिरिक्त 1600 मीटर सड़क पर सोलिंग तक कार्य पूर्ण हो चुका है, अवशेष कार्य शीघ्र पूर्ण किया जायेगा।

३२ सीवर: इस योजना में सीवर का कार्य अभी नहीं हुआ है। इस योजना में अभी कार्यों पर रोक लगी हुई है, निर्णय के बाद कार्य कराया जायेगा।

३३ वाटरमैन: इस योजना में लगभग 3000 मीटर में वाटरमैन डालने का प्राविधान था जिसमें से लगभग 450 मीटर में लाइन पड चुकी है, शेष का व्ययानुमान बनाया जा रहा है।

३४ विजली: विद्युतीकरण का कार्य अभी नहीं किया जाना है।

द३ आजादनगर योजना

आजादनगर योजना में अभी तक सीवर का कार्य नहीं हुआ है, इस योजना में निर्मित ई०डब्लू०एस०भावनों में सीवर डालने की निविदा मांगी जा चुकी है।

इस योजना में सम्भावतः शीघ्र ही विजली का कार्य प्रारम्भ हो जायेगा, ठेकेदार को कार्य के लिए कायदिया दिया जा चुका है ।

### १५१ टिकैतराय आवासीय योजना:

१११ सड़क: इस योजना में 4.22 किमी० सड़क का निर्माण किया जाना है, योजना अधिकतर भूमि नीची होने के कारण सड़कों का निर्माण विलम्ब से हो रहा है, फिर भी 3.20 किमी० की सड़कों पर फारमेशन का कार्य पूर्ण हो चुका है एवं 0.50 किमी० में सोलिंग लगायी जा चुकी है ।

१२१ सीवर : इस योजना में सीवर का कुल कार्य 4.25 किमी० कराया जाना है, तथा सीवर का निस्तारण राजाजीपुरसु कालोनी में जो आवास विकास परिषद की है, से 18" सीवर लाइन से जोड़कर किया जाना है, जिसके लिए अधिशासी अभियन्ता विकास परिषद एवं अन्य अधिकारियों का संयुक्त निरीक्षण हो चुका है, शीघ्र ही अनुमति प्रदान हो जायेगी । अभी तक 0.35 किमी० में सीवर लाइन विछाई जा चुकी है ।

१३१ वाटरमेन: इस योजना के अन्तर्गत वाटरमेन का कार्य प्रगति पर है, पानी की व्यवस्था के लिए द्यूवेल हेतु नलकूप निगम को लगभग 1.72 लाख रुपये दिया जा चुका है, शीघ्र ही निर्माण कार्य प्रारम्भ हो जायेगा ।

१४१ विजली: इस योजना के अन्तर्गत दोनो पार्ट की निविदाएं स्वीकृत हो गयी है और ठेकेदारों को कार्य प्रारम्भ करने के लिए पत्र भी भेजे जा चुके है, दोनों पार्ट के कार्य समाप्त की तिथि 31.12.86 है ।

### १५१ रामनगर आवासीय योजना:

१११ सड़क: इस योजना में 1.78 किमी० सड़क का निर्माण कार्य प्रस्तावित था जिसमें से 1.78 किमी० की सड़क पर सोलिंग का कार्य पूर्ण करके 0.60 किमी० सड़क का प्रथम कोट पेन्टिंग का कार्य भी कराया जा चुका है । शेष कार्य प्रगति पर है ।

१२१ सीवर: इस योजना के अन्तर्गत सीवर का कार्य 1.50 किमी० किया जाना प्रस्तावित है, जिसमें से 1.395 किमी० पर सीवर डाली जा चुकी है, शेष कार्य प्रगति पर है ।

१३१ वाटरमेन: इस योजना में वाटरमेन 1.70 किमी० पर वाटरमेन विछायी जा चुकी है, तथा पानी का कनेक्शन हो चुका है ।

१४१ विजली: इस योजना का कार्य प्रगति पर है । सम्भावतः एक माह में कार्य पूर्ण कर दिया जायेगा ।

१११ मोतीझील आवासीय योजना:

- १११ सड़क: इस योजना में ०.१९ किमी० सड़क का कार्य प्रस्तावित था जिसमें से लगभग ०.१० किमी० पर मिट्टी एवं ०.१० किमी० पर सोलिंग का कार्य पूर्ण हो चुका है, शेष कार्य प्रगति में है।
- ११२ सीवर: इस योजना में ०.२१ किमी० सीवर लाइन विछाने का प्राविधान था जिसे पूर्णरूपेण विछाया जा चुका है तथा कनेक्शन की भी कार्यवाही की जा चुकी है।
- ११३ वाटरमेन: इस योजना में ०.१२ किमी० वाटरलाइन विछायी जानी थी, जिसका कार्य प्रगति पर है, माह सितम्बर, ८६ के अन्त तक कार्य पूर्ण हो जायेगा।

११२ लाप्लास योजना:

- ११२ भूमि विकास: लाप्लास कार्यस्थल के साथ लगी भूमि जो टेलीफोन विभाग को देनी थी, का भूमि विकास पूर्ण कर लिया गया है, तथा मुख्य भावनों की नीची भूमि का भी कार्य प्रगति पर है, लगभग ६० प्रतिशत कार्यपूर्ण हो चुका है।
- ११२ सड़क: लाप्लास में कुल २०० मीटर सड़क का निर्माण होना है, जिसमें फारमेशन तथा सोलिंग तक का कार्य पूर्ण कर लिया गया है, तथा कार्य प्रगति पर है।
- ११३ सीवर: बहुखण्डीय भावनों हेतु लगभग ३५० मीटर सीवर लाइन डालनी है, जिसमें १७० मीटर लाइन पड चुकी है, शेष कार्य समयवद्ध कार्यक्रम के अन्तर्गत पूर्ण किया जा रहा है।
- ११४ स्टार्म वाटर सीवर: लाप्लास से गुजरने वाले तीन बड़े नालों को स्टार्म वाटर सीवर में बदलकर कार्य पूर्ण करा लिया गया है:
- |                       |          |
|-----------------------|----------|
| ११४ अ १०० एम०एम० डाया | २३० मीटर |
| ११४ व १५० एम०एम० डाया | १०२ मीटर |
| ११४ स १८० एम०एम० डाया | २०० मीटर |
- ११५ पम्प हाउस: लाप्लास में वोरिंग का कार्य पूर्ण हो चुका है, तथा पम्प हाउस का निर्माण भी पूर्ण किया जा चुका है।
- ११६ अन्य विकास कार्य: अन्य विकास कार्य जैसे वाटरमेन स्ट्रीट लाइट आदि का कार्य भी शीघ्र प्रारम्भ करके भावनों के साथ पूर्ण कर लिया जायेगा।

११३ कैलाश कुँज योजना:

कैलाश कुँज योजना में विकास कार्यों के अन्तर्गत वाटरमेन सीवर पम्प हाउस पार्क आदि का निर्माण पूर्ण हो चुका है सड़क तथा पार्किंग आदि का कार्य भी प्रारम्भ हो चुका है जो मुख्य भावनों के साथ ही पूर्ण होगा।

विषय: बजट 1986-87 के विस्तृत 31-8-86 तक आय व्यय की स्थिति ।

=====

लखनऊ विकास प्राधिकरण का मूल बजट दिनांक 11-4-86 को प्राधिकरण द्वारा पारित किया गया था । बजट के आय व्यय के सम्बन्ध में तीव्रता से कार्यवाही प्रारम्भ की गयी । विगत वर्षों को देखाते हुए आय पक्ष में पर्याप्त प्राप्ति हुई । व्यय पक्ष में विगत वर्षों की अपेक्षा रिकार्ड व्यय किया गया । विशेषतः भूमि अर्जन, भूमि विकास तथा भावन निर्माण के कार्य-कलापों एवं व्ययों पर अत्यधिक जोर दिया गया ।

सारोप में आय व्यय की स्थिति निम्नवत् रही :-

मदें	मूल बजट अनुमान 1986-87	अन्तिम आंकड़े 31-8-1986 तक
प्रारम्भिक शेष	₹ 120.00	₹ 269.84
आय	₹ 5640.24	₹ 1438.55
उच्चन्त खाते से आय	x	₹ 18.86
योग:	₹ 5760.24	₹ 1727.25
व्यय:	₹ 5639.74	₹ 1588.61
अन्तिम शेष:	₹ 120.50	₹ 138.64

आय व्यय का विस्तृत विवरण साधा में संलग्न है ।

सारोप में योजनावार आय व्यय की स्थिति निम्नवत् है :-

योजना का नाम	आय	व्यय
1. अलीगंज योजना	75.62	43.17
2. कानपुर रोड योजना	263.71	435.97
3. गोमती नगर योजना	483.74	511.65
4. सीतापुर रोड योजना	316.03	342.79
5. ला-प्लैस योजना	-	26.05
6. टिकैतराय योजना	24.40	31.21
7. अन्य योजनाएँ	85.52	74.68
8. व्यवसायिक केन्द्र	18.96	16.88
9. हाट मिक्स प्लान्ट	6.82	31.05
10. सामान्य मदें	85.77	75.16
11. शासकीय अनुदान	77.98	निल
योग:	1,438.55	1,588.61

प्राधिकरण के पास 1.9.96 को ₹ 366.82 लाख की विनियोजित धनराशि थी जिसके विस्तृत स्मया 150.00 लाख का अग्रिम प्राप्त किया गया था । सकल विनियोजन ₹ 216.82 लाख का था । इस प्रकार प्राधिकरण के पास कुल उपलब्ध धनराशि ₹ 355.46 लाख दिनांक 1-9-86 को थी ।

प्राधिकरण बजट में प्रस्तावित कार्यक्रम के अनुसार आय-व्यय की उपलब्धि की ओर अत्याधिक प्रयास कर रहा है तथा यह भी चेष्टा की जा रही है कि व्यय अधिक से अधिक उत्पादक मदों पर किये जायें ।

लखनऊ विकास प्राधिकरण की आय-व्यय का विवरण 31-8-86 तक टेन्टेटिव आकड़े लाखा रु में पृ: 24

बजट मद	आय पक्ष				बजट मदे	व्यय पक्ष			
	बजट प्राप्ति- ध्यान 1985-86	वास्तविक धानराशि 31-8-85	बजट प्रा- विधान 1986-87	वास्तविक धानराशि 31-8-86		31.8.85 तक		31.8.86	
						बजट प्र- विधान 1985-86	वास्त- विक धानराशि 31-8-85	बजट प्राप्ति ध्यान 86-87	वास्तविक धानराशि 31-8-86
1. लीज़ रेन्ट	10.00	1.77	40.21	40.79	1. अधिष्ठात	107.76	50.62	125.00	55.52
2. हायर परचेज़	25.00	10.32	202.31	60.98	2. ऋणों का प्रतिसदान	347.10	70.74	564.67	124.57
3. भावन/दकानों का किराया	48.50	12.31	46.55	6.80	3. भूमि अर्जन	510.00	150.00	950.00	358.00
4. भावनचित्र/अन्य शुल्क	14.10	9.97	30.00	4.15	4. विकास कार्य	1154.55	213.03	1732.00	438.02
5. भूमि की विक्री से	1205.00	704.38	1800.00	655.33	5. भावन निर्माण	2314.00	385.87	1580.00	324.72
6. भावनो की विक्री से	2152.12	388.89	1600.00	326.60	6. व्यवसायिक केन्द्र	290.00	43.20	177.00	32.78
7. व्यवसायिक केन्द्रों से	299.06	0.83	400.00	23.59	7. स्टोर	210.00	122.95	200.00	167.15
8. अन्य प्राप्तियाँ	92.80	17.33	57.00	31.15	8. इन्द्रागांधी मेमोरिअल केन्द्र	-	-	56.00	0.97
9. शासकीय डिपोजिट/ऋण/अनुदान	105.00	0.71	264.17	84.80	9. विश्वबैंक परियोजना	-	-	87.17	0.61
10. संस्थागत ऋण हडकी	700.00	371.92	1200.00	204.36	10. अन्य व्यय रिफंड इत्यादि केन्टेनजिनसी रखा-रखाव	214.36	120.56	167.90	86.27
योग:	4651.58	1518.43	5640.24	1438.55	योग:	5147.77	1156.97	5639.74	1588.61

लखानऊ विकास प्राधिकरण में मुख्य विधि सलाहकार का एक पद शासन द्वारा सृजित किया गया है । 17 मई, 1986 को इस पद पर कार्यभार भी ग्रहण कर लिया गया है । विकास प्राधिकरण के विभिन्न वाद भिन्न-भिन्न न्यायालयों में लम्बित हैं, और नये-नये वाद तथा रिट याचिकाएँ विभिन्न न्यायालयों एवं माननीय उच्च न्यायालय में दायर होते रहते हैं । इसमें अविलम्ब कार्यवाही करनी होती है । अतः प्राधिकरण की ओर से इन वादों में पैरवी सुचारु रूप से हो, यह आवश्यक प्रतीत होता है, कि मुख्य-विधि सलाहकार को भी प्राधिकरण की ओर से समस्त वाद-पत्रों, प्रतिवाद-पत्रों, अपीलों एवं निगरानियों हेतु पत्रों एवं उनसे सम्बन्धित वकालतनामों पर हस्ताक्षर करने हेतु अधिकार प्रदत्त कर दिये जायें । अतः प्राधिकरण की आगामी बैठक हेतु उपरोक्त सन्दर्भ में अनुमोदनार्थ निम्न प्रस्ताव प्रस्तुत है :

प्रस्ताव :

लखानऊ विकास प्राधिकरण की ओर से विकास प्राधिकरण के मुख्य विधि सलाहकार को वाद पत्रों, प्रतिवाद-पत्रों, अपीलों व निगरानियों हेतु पत्रों तथा उनसे सम्बन्धित वकालतनामों पर हस्ताक्षर करने हेतु अधिकार प्रदत्त करने हेतु और उनके द्वारा अब तक वकालतनामों एवं वाद पत्रों आदि पर किये गये हस्ताक्षरों को अनुमोदित करने हेतु ।

=====

विषय: उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास अधिनियम, 1973 की धारा-46 के अन्तर्गत अधिप्रमाणीकरण एवं धारा-26(1), 26(2), 26(3) व 28(4) के अन्तर्गत इनफोर्सिमेंट शाखा के सहायक अभियन्ताओं को कुछ विधिक अधिकार प्रतिनिधायन के सम्बन्ध में।

=====

उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास अधिनियम, 1973 की धारा-46 में यह उपबन्ध है कि प्राधिकरण की सब अनुज्ञाएँ, आदेश विनिश्चय, सूचनाएँ और अन्य दस्तावेज प्राधिकरण के सचिव अथवा प्राधिकरण द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी के हस्ताक्षर से अधिप्रमाणित किये जायें।

उक्त अधिनियम की धारा 26(1), 26(2), 26(3) व 28(4) के अन्तर्गत अभियोजनों के सम्बन्ध में इनफोर्सिमेंट शाखा के सहायक अभियन्ताओं को न्यायालयों में समय-समय पर लखनऊ विकास प्राधिकरण की ओर से परिवाद-पत्र प्रस्तुत करने होते हैं जिनमें उल्लिखित तथ्यों की निजी जानकारी उक्त सहायक-अभियन्ताओं को ही होती है। अतः यह आवश्यक है कि उक्त परिवाद पत्र सम्बन्धित सहायक अभियन्ताओं के हस्ताक्षर से ही अधिप्रमाणित किये जायें। तदनुसार एतद्वारा लखनऊ विकास प्राधिकरण की ओर से प्रस्तुत किये जाने वाले अपने अपने वार्डों से सम्बन्धित परिवाद पत्रों के अधिप्रमाणीकरण हेतु लखनऊ विकास प्राधिकरण की इनफोर्सिमेंट शाखा के समस्त सहायक अभियन्ताओं को प्राधिकृत कर दिया जाये।

यह भी आवश्यक समझा गया है कि इनफोर्सिमेंट शाखा के उक्त सहायक अभियन्ताओं को, लखनऊ विकास प्राधिकरण, जो एक निगमित निकाय है, की ओर से परिवाद पत्र दाखिल करने और उनकी पैरवी करने हेतु एवं अन्य समस्त कार्य करने हेतु जो अभियोजन की सफलता के लिये आवश्यक हों, प्राधिकृत कर दिया जाये। अतः एतद्वारा लखनऊ विकास प्राधिकरण की इनफोर्सिमेंट शाखा के समस्त सहायक अभियन्ताओं को अपने-अपने वार्डों से सम्बन्धित परिवाद पत्रों को दाखिल करने, उनकी पैरवी करने एवं अन्य समस्त कार्य करने हेतु जो अभियोजन की सफलता के लिये आवश्यक हों, प्राधिकृत कर दिया जाये।

विषय: माल एवन्वु स्थित भूखण्ड संख्या-14 ए  
एवं 17 ए के सम्बन्ध में ।

लखानऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 26 जूलाई,  
1986 में उपरोक्त विषय प्राधिकरण के समक्ष विचारार्थ एवं  
निर्णयार्थ प्रस्तुत किया गया जिसपर निम्नलिखित निर्णय  
लिया गया :

“ इस सम्बन्ध में विचार विमर्श किया गया और यह  
निर्णय लिया गया कि श्रीमती एस0बक्शी को 1250  
वर्गमीटर भूमि दे दी जाये ताकि वाद समाप्त हो  
जाये और लखानऊ विकास प्राधिकरण अपनी योजना  
का कार्यक्रम प्रारम्भ करें । भूमि का मूल्य श्रीमती बक्शी  
से रु0 10/- प्रति वर्गफुट की दर से लिया जाये और  
इस मामले को अन्तिम रूप देने से पहले श्रीमती बक्शी से  
विचार विमर्श भी कर लिया जाये ”

उक्त निर्णय पर श्रीमती बक्शी की सहमति प्राप्त करने  
हेतु विभाग द्वारा उन्हें पत्र भेजा गया जिसके उत्तर में श्रीमती  
बक्शी ने अपनी असहमति व्यक्त करते हुए यह अनुरोध किया है  
कि उन्हें 1250 वर्गमीटर भूमि के स्थान पर 2250 वर्गमीटर  
भूमि उपलब्ध कराई जाये तथा रु0 10/- प्रति वर्गफिट जो  
प्रीमियम की दर निर्धारित की गई है उसे अधिक बताते हुए कम  
किये जाने का अनुरोध किया है । श्रीमती बक्शी द्वारा इस  
सम्बन्ध में प्रेषित पत्र की प्रतिलिपि साथ में संलग्न की जा  
रही है ।

कृपया प्राधिकरण इस सम्बन्ध में निर्णय लेने का  
कष्ट करें ।

=====

श्रीमती सरस्वती बखशी, 20 -अशारफा टोला, सिनेमा रोड  
हरदोई का पत्र दिनांक 28-8-86 जो सचिव, लखनऊ विकास  
प्राधिकरण को सम्बोधित है, की प्रतिलिपि

=====

विषय: माल एवन्वु स्थित भूखण्ड संख्या- 14 ए एवं  
17 ए के सम्बन्ध में ।

=====

कृपया अपने पत्र संख्या सचिव, वि०प्र० दिनांक  
26 अगस्त, 1986 का सन्दर्भ लें जो उपर्युक्त विषय से सम्बन्धित  
है । इस सम्बन्ध में नम्र निवेदन है कि मैंने पूर्व प्रार्थनापत्र में  
2250 वर्गमीटर भूमि आवन्टित करने की प्रार्थना की थी  
जबकि उसके स्थान पर केवल 1250 वर्गमीटर भूमि के आवन्टन  
की अनुमति मुझे प्रदान की है । मेरा आपसे अनुरोध है कि  
शेष 1000 वर्गमीटर  $\&$  कुल 2250 वर्गमीटर  $\&$  भूमि आवन्टित  
करने की कृपा करें ।

रु० 10/- प्रतिवर्ग फिट की दर से प्रीमियम जो  
निर्धारित किया गया है वह बहुत अधिक है । आपसे पुनः  
अनुरोध है कि प्रीमियम की धारणा को कम करने की कृपा  
करें ।

=====

विषय: आर्थिक दृष्टि से दुर्बल आय वर्ग के व्यक्तियों को कम मूल्य पर भवन उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में ।

=====

आख्या: लखनऊ विकास प्राधिकरण कुछ समय पूर्व से जो उपरोक्त वर्ग हेतु भावनों का निर्माण कर रहा है, उनका बिक्रय मूल्य लगभग ₹ 23,000/- प्रति भावन आ रहा है । इस मूल्य पर इस वर्ग को भावन ले पाना सम्भव नहीं हो रहा है । इसका अनुभाव खोले गये पंजीकरणों के आधार पर हुआ है ।

2. कुछ समय पूर्व कानपुर रोड योजना में ₹ 16,000/- प्रति भावन के बिक्रय मूल्य पर पंजीकरण खोला गया था । उसमें लगभग 1200 व्यक्तियों ने पंजीकरण कराया, जो यह प्रदर्शित करता है कि इस मूल्य के आस-पास ही इस वर्ग के व्यक्ति भावन लेने की क्षमता रखते हैं ।

3. उपरोक्त वर्ग हेतु एक भावन का बिक्रय मूल्य ₹ 16,500/- रखे जाने का प्रस्ताव है, जिसका विवरण अनुलग्नक "क" में दिया हुआ है । इसमें निर्माण लागत ₹ 12,000/- रखी गई है । वर्तमान में जो स्पेसिफिकेशन हैं, उनमें कुछ कटौती की जायेगी । प्रशासनिक व्यय इस प्रकार के भावनों में चार्ज नहीं किया जायेगा । भूमि की वर्तमान दर ₹ 138/- प्रति वर्ग मीटर इस प्रकार के भावनों में लगाई जाती है और अब इसमें रियायत देकर ₹ 100/- प्रति वर्ग मीटर लिये जाने का प्रस्ताव है ।

4. उपरोक्त क्रम सं 3 में जो भूमि दर में और रियायत देने का प्रस्ताव है, उसकी पूर्ति हेतु अन्य वर्गों के लिये जो भूमि की वर्तमान दर ₹ 235/- प्र 0 वर्ग मीटर है, उसे बढ़ाये जाने का प्रस्ताव है । उपरोक्त वर्ग की भूमि की दर में रियायत देने पर जो धारणा की पूर्ति करना है, उसके लिये यदि वर्तमान दर ₹ 235/- प्र 0 वर्ग मीटर के स्थान पर ₹ 245/- प्र 0 वर्ग मीटर कर दिया जाये तो उसकी पूर्ति हो जायेगी । चूंकि उपरोक्त वर्ग के भावनों में प्रशासनिक व्यय भी चार्ज नहीं किये जाने का प्रस्ताव है, अतः भूमि की वर्तमान दर ₹ 235/- प्र 0 वर्ग मीटर को बढ़ाकर ₹ 250/- प्र 0 वर्ग मीटर किये जाने की अनुशंसा की जाती है । इस सम्बन्ध में यह भी उल्लेख करना है कि इस समय उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद में भूमि की वर्तमान दर उपरोक्त प्रचलित दरों से काफी अधिक है ।

#### प्रस्ताव

प्राधिकरण कृपया ई0डब्लू0एस0 के व्यक्तियों को रियायती दर पर भावन उपलब्ध कराये जाने के तारतम्य में उपरोक्त क्रम सं 4 का अनुमोदन करने का कष्ट करें ।

ANULAGNAK 'KA'

STATEMENT SHOWING TENTATIVE SALE PRICE OF  
E. W. S. HOUSES

1.	Construction Cost	12,000.00
2.	Work charges & Contingencies @ 1%	<u>120.00</u>
		12,120.00
3.	Maintenance Charges @ 2%	<u>242.40</u>
		12,362.40
4.	Interest @ 7% ( for 6 months)	<u>432.68</u>
		12,795.08
5.	Cost of land ( 36.75 Smt. @ Rs. 100/- per Smt.)	<u>3,675.00</u>
		<u>16,470.08</u>

Say Rs. 16,500/-

विषय: लखनऊ विकास प्राधिकरण के नियन्त्रण में आने वाली किराये पर दी गई दुकानों के बिक्रय के सम्बन्ध में ।

आख्या: उपरोक्त विषय प्राधिकरण की बैठक दिनांक 23-6-83 की विषय संख्या- 6 के अन्तर्गत रखा गया था, जिसमें निम्नांकित निर्णय हुआ था :

" विकास प्राधिकरण के नियन्त्रण में आने वाली किराये पर दी गई सम्पत्ति, अनावासिक के बिक्रय के प्रस्ताव पर विचार किया गया । यह निर्णय लिया गया कि निम्नांकित तालिका में अंकित सम्पत्ति का बिक्रय कर दिया जाये :

क्रम सं०	व्यवसायिक केन्द्र का नाम	दुकानों की संख्या
1-	नख्वास मार्केट	213
2-	आई०टी०कालेज	45
3-	आउट्रम रोड	34
4-	लाल कुँआ	17
5-	दासल शाफ़ा चौक	34
6-	मकुबरा गेट	6
7-	हज़रतगंज शाप्ट	10
8-	पाण्डेय का तालाब	6
9-	राजेन्द्र नगर	6
10-	भैरिस मार्केट	48
11-	मवेया	9
12-	चाइना बाजार गेट	14
13-	पेपर मिल कालोनी	29
14-	स्टोर्स	4
		530

निस्तारणा के मूल्य के विषय में यह निर्णय लिया गया कि इन दुकानों के बिक्रय की कीमत निकालते समय भूमि की कामशियल कीमत वर्तमान दर से निकाली जाये और उसमें दुकान के निर्माण पर आने वाली लागत को वर्तमान दर से जोड़कर तब पूरी कीमत निकाली जाये ।

यह भी निर्णय लिया गया कि डेपरीशियेशन का कोई भी लाभ इन दुकानों के विषय में नहीं दिया जायेगा और इस प्रक्रिया द्वारा यदि सम्बन्धित दुकानदार क्रय करना चाहता है तो इसको बिक्रय कर दिया जायेगा अन्यथा बाहरी व्यक्ति को नीलाम की प्रक्रिया द्वारा ही दुकान बिक्रय की जायेगी "

उपरोक्त निर्णय में यह निहित है कि दुकानों की बिक्रय की कीमत निकालते समय डेपरीशियेशन का लाभ न दिया जाये, जबकि प्राधिकरण की गत बैठक दिनांक 26-7-87 में जनपथ में

निर्मित शो-रूम / बी टाइप की दुकानों के विक्रय हेतु प्रस्ताव रखा गया था। उसमें डेप्रीसियेशन का लाभ दिये जाने का प्रस्ताव था, और तदनुसार ही प्राधिकरण द्वारा निर्णय लिया गया था।

### प्रस्ताव

प्राधिकरण की बैठक दिनांक 23.6.83 में उपरोक्तानुसार लिये गये निर्णय में इतना संशोधन कर दिया जाये कि गत बैठक दिनांक 26-7-86 में जनपथ की दुकानों के सम्बन्ध में लिये गये निर्णय के आधार पर डेप्रीसियेशन का लाभ उपरोक्त स्थल की दुकानों को विक्रय किये जाने में दिया जाये। प्राधिकरण कृपया तदनुसार स्वीकृति प्रदान करने का कष्ट करें।

विषय: विभिन्न व्यक्तियों को योजना के अन्तर्गत अर्जित भूमि के बदले विकसित भूमि दिये जाने के सम्बन्ध में ।

आख्या:

विभिन्न योजनाओं में जो भूमि अर्जित की जाती है, और भूमि अर्जन के पश्चात् जब भू-विन्यास बनाया जाता है तो कुछ ऐसे व्यक्तियों की पूर्ण या आंशिक रूप से भूमि लेनी पड़ती है जिनकी भूमि, भूमि अर्जन के क्षेत्र में आ जाती है । भूमि अर्जन के पश्चात् भू-विन्यास बनाते समय कुछ व्यक्तियों की भूमि सड़क को सीधा करने के लिये भी लेनी पड़ती है । ऐसी परिस्थितियों में ऐसे व्यक्ति विकसित भूखण्ड दिये जाने की माँग करते हैं । यह माँग विभिन्न योजनाओं में आती रहती है । अतः इस सम्बन्ध में यह नीति निर्धारित की जानी आवश्यक है कि ऐसे व्यक्तियों को किस दर पर विकसित भूमि दी जाये ।

2. ऐसे व्यक्तियों को जिस समय भूमि का कब्जा लखानऊ-विकास प्राधिकरण द्वारा लिया जाये, उस समय जो लखानऊ विकास प्राधिकरण की भूमि की प्रचलित दर हो, उसी दर पर उनको भूखण्ड आवन्तित किया जाये और जिस तिथि तक ऐसे व्यक्ति भुगतान करें उस अवधि का ब्याज भूमि अर्जन अधिनियम के अनुसार प्रथम वर्ग के लिये 9% वार्षिक तथा आगामी वर्गों के लिये 15% वार्षिक की दर से लगाया जाये । इस प्रकार गणना करके जो धनराशि आये उस पर भूखण्ड ऐसे व्यक्तियों को उनके द्वारा भूखण्ड आवन्तित किये जाने के अनुरोध करने पर, भूखण्ड आवन्तित कर दिया जाये ।

प्रस्ताव

प्राधिकरण कृपया उपरोक्त क्रम संख्या- 2 में दी गई अनुशंसा के अनुसार स्वीकृति प्रदान करने का कष्ट करें ।

विषय: लखनऊ नगर के बाहरी भागों में जो अनाधिकृत कालोनी विकसित हो रही हैं उनका नियोजित विकास ।

=====

गत दशक से लखनऊ नगर का विकास तीव्र गति से चल रहा है । नगर के बाहरी क्षेत्रों में लखनऊ विकास प्राधिकरण एवं आवास एवं विकास परिषद द्वारा अनेक कालोनी विकसित की गई हैं, परन्तु इन विकसित कालोनियों के साथ-साथ काफी ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर भावन निर्माण हुए हैं परन्तु वह क्षेत्र विकसित नहीं है जैसे- सड़क, नाली, पानी, बिजली, पार्क इत्यादि की सुविधाएँ पर्याप्त रूप से उपलब्ध नहीं है । नगर के वर्तमान बहुमुखी विकास को देखाते हुए यह आवश्यक हो जाता है कि ऐसे क्षेत्र जहाँ अनाधिकृत निर्माण हो रहे हैं उनका भी विकास किया जाये जो कि एरिया डेवलपमेंट के रूप में कार्यान्वित हो । वर्तमान में ऐसे क्षेत्र बहुत हैं परन्तु योजना का प्रारम्भ करने के उद्देश्य से आलमबाग क्षेत्र जो कि कानपुर रोड तथा जेल रोड एवं शारदा कैनाल से घिरा है को प्रस्तावित किया जाये तो उचित होगा । वहाँ पर वाह्य विकास उपलब्ध है और समीप में विकास प्राधिकरण द्वारा कानपुर रोड योजना विकसित की जा रही है । इस योजना को प्रारम्भ करने हेतु निम्न बिन्दुओं पर विचारार्थ एवं स्वीकृति हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत है ।

- 1- प्रस्तावित क्षेत्र का सेक्शन चार के अन्तर्गत नोटीफिकेशन किया जाये ।
- 2- पूरे क्षेत्र के विकास हेतु वर्तमान निर्माणों का सर्वेक्षण करने के उपरान्त नियोजन के न्यूनतम मापदण्डों के आधार पर विकास योजना तैयार की जाये ।
- 3- विकास कार्यों के आगणन तैयार कर योजना की लागत निकाली जाये ।
- 4- जिन भूखण्डों को या निर्मित भावन की खाली भूमि को पार्क तथा सड़के इत्यादि बनाने हेतु लिया जाये उसको अध्याप्त कर लिया जाये ।
- 5- उस क्षेत्र के सभी निवासियों, जिन्होंने भावन बना लिया है या जो भावन बनायें, उनसे वास्तविक विकास शुल्क लिया जाये ।
- 6- पूरे विकास कार्य सभी व्यक्तियों से धान वसूल कर पूर्ण कराये जायें ।
- 7- विकास योजना में समायोजित भूखण्ड/भावन को विकास शुल्क प्राप्त करने के बाद अधिग्रहण से रिलीज़ कर दिया जाये अन्यथा अधिग्रहण कर लिया जाये ।

विषय: लखनऊ नगर के भीतरी भागों के  
पुनर्विकास तथा अरबन रिन्वुवल की योजना  
=====

गत दशक से लखनऊ नगर का विकास तीव्र गति से हो रहा है जिसमें मुख्यतः नगर के भीतरी भागों में व्यवसायिक तथा कार्यालय क्षेत्रों का विकास हुआ है और बाहरी क्षेत्रों में आवासीय कालोनी का । नगर के भीतरी क्षेत्र जिनमें मुख्यतः चौक, अमीनाबाद तथा हज़रतगंज आते हैं, इनमें हो रहे कार्यालय तथा व्यवसायिक कार्य कलापों के कारण जनसंख्या, यातायात इत्यादि का काफी भारी दबाव उत्पन्न हो गया है । लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा बाहरी क्षेत्रों में व्यवसायिक तथा कार्यालय प्रतिष्ठानों का निर्माण विभिन्न स्थानों पर किया गया है किन्तु इन क्रियाओं का दबाव अन्दरूनी क्षेत्र में कम नहीं हुआ है, सभी नगरों में इस प्रकार की क्रियाएँ होती हैं जो स्वाभाविक भी हैं किन्तु ऐसा देखा गया है कि पुराने क्षेत्रों में जो भूमि व भावन निर्मित हैं वह काफी पुराने हैं जिनका जीर्णोद्धार होना आवश्यक है, और जिनके साथ-साथ विकास के वर्तमान सन्दर्भ में उपयुक्त उपयोग नहीं हो रहा है, अतः यह आवश्यक हो जाता है कि नगरों के बाहरी विकास के साथ-साथ आन्तरिक भागों के विकास के सम्बन्ध में भी कार्यवाही की जाये जिससे एक तो भूमि तथा भावनों का उपयुक्त उपयोग हो सकेगा और दूसरे वर्तमान अरबन डिजाइन कन्सेप्ट के सन्दर्भ में आकर्षित ढ़ंग से यह क्षेत्र नियोजित एवं विकसित हो जायेंगे, लखनऊ नगर के सन्दर्भ में मुख्यतः चौक, अमीनाबाद तथा हज़रतगंज क्षेत्र मूल स्म से इन प्रकार की समस्याओं से ग्रस्त हैं, अतः इन क्षेत्रों में उपरोक्त प्रस्तावित कार्यवाही की जानी आवश्यक है ।

प्रथम चरण में उदाहरण स्वस्म हज़रतगंज का एक क्षेत्र जो कि नवल किशोर रोड के दक्षिण, त्रिलोक नाथ रोड के उत्तर, विधान सभा मार्ग के पश्चिम तथा लालबाग़ चौराहे से बसन्त सिनेमा वाली हलवासिया रोड के पूर्व में स्थित है, लिया जाना प्रस्तावित है, इस क्षेत्र के पुनर्विकास तथा अरबन रिन्वुवल के सन्दर्भ में निम्न प्रस्ताव प्राधिकरण की बैठक में विचारार्थ प्रस्तुत है :-

- 1- पूरे क्षेत्र को भूमि अधिग्रहण की धारा-4 के अन्तर्गत नोटीफ़ाई किया जाये ।
- 2- पूरे क्षेत्र हेतु विकास योजना तैयार की जाये जिसमें पुराने भावनों के स्थान पर नये भावन का प्रस्ताव, जो भावन योजना में समायोजित हो सकें उनका उसी दशक में या परिवर्तन के साथ समायोजन । सड़कों, फुटपाथ तथा पियाजा आदि का अरबन डिजाइन कन्सेप्ट के मापदण्डों के आधार पर प्रयोजन इत्यादि सम्मिलित होंगे ।

- 3- पूरे विकास योजना में प्रस्तावित विभिन्न भावनों के निर्माण हेतु समयबद्ध निर्माण कार्यक्रम निर्धारित किया जाना, जो भू-स्वामी अपने भूखण्ड पर प्राधिकरण द्वारा प्रस्तावित योजना तथा अरबन डिजाइन कन्ट्रोल के आधार पर निर्माण स्वयं करना चाहें तो उन्हें निर्धारित समय में निर्माण की अनुमति प्रदान की जाये ।
- 4- जो व्यक्ति उपरोक्तानुसार निर्माण न कराये या उनके भूखण्ड पर किसी एक व्यक्ति द्वारा निर्माण सम्भाव न हो तो ऐसी दशा में उस भूखण्ड को विकास प्राधिकरण अर्जित करके उस पर स्वयं निर्माण करें ।
- 5- पूर्ण योजना के विकास हेतु जो भी भूमि, सड़क फुटपाथा, पियाजा इत्यादि हेतु प्रस्तावित हो उसका भी अर्जन विकास प्राधिकरण द्वारा किया जाये ।
- 6- जो व्यक्ति स्वयं निर्माण कराये, उन्हें डेवलपमेन्ट तथा बेटरमेन्ट चार्जेज़ प्राधिकरण द्वारा निर्धारित दरों के आधार पर देय होगा ।
- 7- योजना क्षेत्र में प्रस्तावित सड़क, फुटपाथा एवं अन्य सुविधाओं हेतु जितनी भूमि की आवश्यकता होगी अनुपातिक स्म से सभी भूखण्डों से समायोजित की जायेगी ।

विषय :- नियोजन विभाग के सुदृढीकरण हेतु तदों के सृजन  
की स्वीकृति के सम्बन्ध में  
=====

लखनऊ विकास प्राधिकरण के बढ़ते हुए कार्य कलापों एवं तदनुसार अभियंत्रण खण्ड को बढ़ती हुई संख्याओं एवं प्राधिकरण के वार्षिक कार्य बजट ₹ 30.0 करोड़ के कार्य को दृष्टिगत रखते हुए नियोजन एवं वास्तु-कला विभाग में अधिकारियों / कर्मचारियों की संख्या अपर्याप्त है। भवन निर्माण हेतु जिन न्यूनतम ड्राइंग तथा विशिष्टियों के उल्लेख की आवश्यकता होती है उनको पूरा करने में कठिनाई होती है तथा समय से उपलब्ध कराना भी कठिन प्रतीत हो रहा है।

यदि प्राधिकरण के कार्य बजट ₹ 30.0 करोड़ को आधार माना जाय तो वर्तमान समय में जो अधिकारी/कर्मचारी कार्यरत हैं, उनका वेतन प्रति वर्ष लगभग 3.94 लाख देय होता है जो कि बजट का 0.131 प्रतिशत लगभग आता है। यदि इसी कार्य को प्रैक्टिसिंग वास्तुविद् से कराया जाय तो उन्हें औसतन 3 प्रतिशत फीस देय होगी जो लगभग 90.0 लाख रुपये प्रति वर्ष आयेगी।

यदि 30.0 करोड़ के आधार पर उत्तर प्रदेश शासन के सार्वजनिक निर्माण विभाग के अनुसार अधिकारी/कर्मचारी को नियुक्ति प्रस्तावित की जाय तो वह कुल बजट का 1.10 प्रतिशत आता है जिसमें प्रत्येक 4.5 करोड़ के कार्य पर एक यूनिट निम्न प्रकार प्रस्तावित की जाती है :

<u>यूनिट</u>	
1-	वरिष्ठ वास्तुविद् 1
2-	वास्तुविद् 2
3-	सहायक वास्तुविद् 4
4-	वास्तुविद् सहायक 4
5-	मानचित्रकार 0
-----	
योग = 19	
-----	

अतः सार्वजनिक निर्माण विभाग के मापदंडों के आधार पर अधिकारियों तथा कर्मचारियों की संख्या लगभग 120 होगी .

प्राधिकरण द्वारा किये जाने वाले निर्माण व विकास कार्य का भार तथा सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा निर्धारित मापदंडों के आधार पर कार्य को सुचारु रूप से चलाने हेतु निम्न अतिरिक्त पदों को स्विकृति हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत है :

क्र०सं०	पद नाम	वर्तमान संख्या	प्रस्तावित संख्या	योग
1-	मुख्य नगर नियोजक	1	-	1
2-	नगर नियोजक	1	-	1
3-	वास्तुविद्	1	5	6
4-	सहायक नगर नियोजक/सहायक वास्तुविद्	4	8	12
5-	आर्च कम्प्लानिंग असिस्टेन्ट	4	2	6
6-	मानचित्रकार	7	17	24
		योग =	18	32
				50

उपरोक्त पदों को भरने के उपरान्त नियोजन विभाग में कुल वेतन स्वरूप लगभग 7 लाख रुपये का व्यय भार होगा जो कुल बजट का केवल 0.20 प्रतिशत होगा.

विषय प्राधिकरण के विचारार्थ प्रस्तुत है.

विषय: गोमती नगर योजना/कानपुर रोड योजना  
में होटल के लिये भूमि दिये जाने के सम्बन्ध में  
=====

एशियन होटल को गोमती नगर योजना में भूमि दिये जाने के सम्बन्ध में विषय प्राधिकरण की बैठक दिनांक 26-7-86 में प्रस्तुत किया गया था। विचार विमर्श के पश्चात् प्राधिकरण द्वारा निर्णय लिया गया कि प्राइवेट बिल्डर्स के सम्बन्ध में गठित उप समिति द्वारा शर्तें तय कर ली जायें। तदनुसार प्राधिकरण द्वारा गठित उप समिति की बैठक दिनांक 4-8-86 को हुई थी जिसमें यह निर्णय लिया गया कि अन्य होटल स्वामियों से भी आफर समाचार पत्रों के माध्यम से प्राप्त कर लिये जायें।

2. उप समिति के उपरोक्त निर्णय के तारतम्य में समाचार पत्रों के माध्यम से आफर्स दिनांक 23-8-86 तक आमन्त्रित किये गये। शर्तें निम्नवत् रखी गई थी :

- I. भूमि की दर ₹ 450/- प्र0व0मी0
- II. भुगतान की पध्दति :  
क: कुल मूल्य का 25% आवन्टन से पूर्व जमा करना होगा,  
ख: शेष 75%, 16% वार्षिक ब्याज सहित, 3 वार्षिक किरातों में देय होगी।
- III. निर्माण प्रारम्भ करने की अवधि : भूमि का कब्जा दिये जाने की तिथि से एक वर्ष के अन्दर,
- IV. निर्माण समाप्ती की अवधि : भूमि का कब्जा दिये जाने की तिथि से 3 वर्ष के अन्दर,
- V. मनोरंजन के अभिप्राय हेतु भूमि : आवश्यकतानुसार लाइसेन्स के आधार पर भूमि दी जा सकती है, इस भूमि का विकास होटल स्वामी द्वारा किया जायेगा परन्तु इसका प्रयोग सार्वजनिक स्थ से होगा।

3. निम्न होटल स्वामियों से आफर्स प्राप्त हुए हैं:-

- I- मे0 एशियन होटल्स लि0, नई दिल्ली
- II- दि इन्डियन होटल्स क0लि0, नई दिल्ली
- III- मे0 यू0पी0होटल्स लि0, लखनऊ
- IV- मे0 आरिफ़ इण्डस्ट्रीज़ लि0, लखनऊ
- V - मे0 यमुना होटल्स प्रा0लि0, नई दिल्ली
- VI- मे0 निधि होटल्स निधि प्रा0लि0, देहरादून
- VII- मे0 सर्व श्री मेघादूत होटल्स प्रा0लि0, कानपुर
- VIII- मे0 सूर्या होटल, नई दिल्ली

उपरोक्त होटल स्वामियों से कुछ सूचना माँगी गई है ।

सूचना का चार्ट सॅलग्न है ।

4. उपरोक्त सूचना दिनांक 2-9-86 तक माँगी गई है । उपरोक्त सूचना एकत्रित करने के पश्चात् प्राधिकरण की बैठक में अन्तिम चयन के सम्बन्ध में निर्णय लेने हेतु रखा जा रहा है § क्योंकि विभिन्न कारणोंवशा उपसमिति की बैठक सम्भव नहीं हो पाई है § ।

5. आदेशार्थ प्रस्तुत

INFORMATION CHART

1. Name of Hotel :
2. Owner :
3. Association with chain of Hotel
4. Existing hotels with stars  
( India & abroad ) with details of available accomodation :
5. Establishment of the above Hotel(s):
  - a. Year of start of construction:
  - b. Year of completion of const.
  - c. Year of commencement of activities
  - d. Project cost
6. Associated facilities
7. Area(Hotel wise ):
  - a. Built-up on ground:
  - b. Total built-up area
  - c. Number of floors
8. Average occupancy of hotel per year  
( for last five years )
9. Facilities being provided
 

a. Lodging	Yes/No
b. Boarding	Yes/No
c. Conferences	Yes/No
d. Meetings	Yes/No
e. Marriages	Yes/No
10. Financial
  - A. Share Capital ( As on 31.3.85 )
    - i. Authorised
    - ii. Issued
    - iii. Subscribed
  - B. Balance of Loan as on 31.3.85
  - C. Details of fixed assets as on 31.3.85
  - D. Total liabilities as on 31.3.85
  - E. Operating & General Expenses per year  
( for last five years )
  - F. Turnover per year ( for last 5 years )
  - G. Net Profit per year( for last 5 years )
  - H. Balance Sheet for 1984-85
11. Income Tax clearance for 1985-86
12. Managing Committee( Number & Name of Directors)
13. Booking for future
14. Category of proposed hotel(No.of stars)
15. Details of accomodation & facilities in proposed hotel
16. Area required
  - A. Builtup on ground
  - B. Total Builtup area
  - C. Extra open land
17. Project Schedule
  - a. Commencement of construction
  - b. Completion of activities
  - c. Commencement of activities

contd....

18. Proposed mode & schedule of payment of  
cost of land

19. Preference of location:

Gomti Nagar

Kanpur Road

Other (Specify)

20. Proposed use for extra land to be  
given on license basis.

21. Any other relevant information

विषय : नकद ऋण § CASH LOAN § से सम्बन्धित योजना,

आख्या:

प्रस्तावना

यह अनुभव किया गया है कि सार्वजनिक भूमि पर कुछ व्यक्ति झुग्गी-झोपड़ी बनाते चले आ रहे हैं और उन्हें रोकने में कोई विशेष सफलता प्राप्त नहीं हो रही है, इसका एक मुख्य कारण यह भी है कि अत्यन्त गरीब लोगों के लिये कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं है। लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा विभिन्न आवासीय बस्तियों में जो आर्थिक दृष्टि से दुर्बल आय वर्ग के भवनों का निर्माण किया जा रहा है, उन भवनों के मूल्य पर गरीब लोग मकान लेने में अपने आष को असमर्थ पा रहे हैं। अतः यह आवश्यक प्रतीत होता है कि लखनऊ विकास प्राधिकरण की विभिन्न आवासीय योजनाओं में कुछ भूमि ऐसे व्यक्तियों के लिये निश्चित की जायें, जो स्वयं अपना आवास बना सकें।

इस योजना के अन्तर्गत भूखण्डों का विकास लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा किया जायेगा, उसके पश्चात् उस भूखण्ड पर भवन का निर्माण सम्बन्धित व्यक्ति द्वारा किया जायेगा। जाहिर है कि ऐसे व्यक्ति जो मकान स्वयं ही निर्मित करायेगें, तो एक ओर तो लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा निर्मित भवनों की अपेक्षा कम मूल्य पर बनेगें, दूसरे उन्हें मानसिक संतोष गुणवत्ता के सम्बन्ध में होगा, तीसरी बात यह भी है कि वह उतनी ही धनराशि ऋण के रूप में लखनऊ विकास प्राधिकरण से प्राप्त करेंगें, जितनी पुर्नभुगतान की उनकी क्षमता है और उस क्षमता के अन्तर्गत ऋण प्राप्त करके भवन का निर्माण करेंगें। इस प्रकार इस योजना के अन्तर्गत भवनों का निर्माण होने से गरीब वर्ग के लोगों को स्वच्छ एवं स्वास्थ्यप्रद वातावरण उपलब्ध होगा।

2. योजना का कार्यान्वयन

इस योजना का कार्यान्वयन निम्न प्रकार किया जावेगा :-

- I: योजना के लाभार्थियों को ₹500/- अथवा ₹1,000/- पंजीकरण धनराशि के रूप में जमा करके उक्त योजना के अन्तर्गत पंजीकरण कराना होगा।
- II: पंजीकरण के पश्चात् सभी ऐसे पंजीकृत व्यक्तियों के मध्य लाटरी द्वारा उपलब्ध भूखण्डों का आवंटन किया जायेगा।

- 111: आवंटन के पश्चात् प्रत्येक आवंटिसे निर्धारित प्रारूप में अनुबन्ध निष्पादित कराया जायेगा । अनुबन्ध में किराया क्रय पद्धति योजना के अन्तर्गत किये जाने वाले अनुबन्ध की शर्तों का समावेश रहेगा । इसके अतिरिक्त निर्माण अवधि में जो किये जायेंगे समय पर ही जायेगी, उनका उल्लेख भी किया जायेगा ।
- 112: अनुबन्ध निष्पादित हो जाने के पश्चात् सम्बन्धित आवंटि को प्रथम किये के रूप में नींव डालने की अनुमानित धनराशि अवमुक्त की जायेगी ।
- 113: उपरोक्त धनराशि व्यय किये जाने के उपरान्त सम्बन्धित आवंटि को धनराशि अवमुक्त करने के लिये सम्बन्धित अधि०अभि० को प्रार्थना-पत्र देगा । सम्बन्धित अधि०अभि० द्वारा उपरोक्त धनराशि व्यय किये जाने का प्रमाण-पत्र दिये जाने के पश्चात् अगली कियत अवमुक्त की जायेगी । इसी प्रकार आगे की प्रक्रिया निर्माण कार्य के अनुसार चलती रहेगी । उपरोक्त प्रमाण-पत्र अधि०अभि० द्वारा हस्ताक्षर किये जाने के पश्चात् ही वैध माना जायेगा ।
- 114: यदि सम्बन्धित आवंटि द्वारा प्राप्त की गई धनराशि का प्रयोग आवंटित कार्य में नहीं किया जा रहा है तो उपाध्यक्ष, विकास प्राधिकरण लखनऊ को अधिकार होगा कि वह आवंटन निरस्त कर दे और आवंटि को दी गई धनराशि की वसूली आवंटि को आवंटित कार्य से कर दें । यदि इस कार्य से अपेक्षित धनराशि प्राप्त होना संभव नहीं है, तो शेष धनराशि की वसूली उ०प्र० अरबन प्लानिंग एण्ड डेवलपमेण्ट एक्ट के प्रावधानों के अन्तर्गत भू-राजस्व की वसूली की शक्ति किये जाने का अधिकार होगा ।
- 115: ल०वि०प्रा० द्वारा प्रत्येक आवंटि को जो धनराशि ऋण के रूप में अवमुक्त की जायेगी, उसका लेखा प्रत्येक आवंटि द्वारा किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में रखा जायेगा । प्रत्येक आवंटि/द्वारा कराये गये कार्य का पूर्ण विवरण का लेखा रहेगा जिसके निरीक्षण का अधिकार उपाध्यक्ष, अथवा उनके अधिकृत प्रतिनिधि को होगा ।
- 116: लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा उपरोक्तानुसार जो धनराशि आवंटि को दी जायेगी, उससे सम्बन्धित नेट स्कॉउन्ट लेखा पिमाग द्वारा रखा जायेगा । उ०ले०अधि० यह सुनिश्चित करेंगे कि सम्बन्धित अधि०अभि० से उपरोक्तानुसार व्यय का प्रमाण-पत्र लिखित रूप में प्राप्त करने के

उपरान्त अगली किश्त अवमुक्त करें ।

- ix: उपरोक्तानुसार किश्ते सचिव के आदेशोपरान्त मुले 0अधि0 द्वारा अवमुक्त की जायेगी ।
- x: सम्बन्धित अधि0अभि0 अपने खण्ड में आवंटी द्वारा किये गये कार्य का पूर्ण विवरण एक लेजर में अंकित कराया जायेगा जिसके आधार पर ही उपरोक्त प्रमाण-पत्र अधि0अभि0 द्वारा दिया जायेगा ।
- xi: आवंटी द्वारा कार्य पूर्ण किये जाने के पश्चात् अधि0अभि0 एक प्रमाण-पत्र देगे कि सम्बन्धित आवंटी द्वारा जो धनराशि ल0वि0प्रा0 से ली गई है उसको कार्य में पूर्ण रूप से व्यय किया गया है । यह सूचना प्राप्त होने के पश्चात् आवंटी को दी गई धनराशि की वसूली के किश्तो का निर्धारण का0स्का0-स्व-इको0प्ला0 द्वारा किया जायेगा ।
- xii: कार्य पूर्ण होने के एक माह के अन्दर प्रत्येक आवंटी को अनुबन्ध निष्पादित कराना अनिवार्य होगा और अनुबन्ध की तिथि से एक माह के उपरान्त से किश्ते आवंटी द्वारा देय होगी ।
- xiii: अंतिम वास्तविक मूल्यांकन उपाध्यक्ष वि0प्रा0 लखनऊ द्वारा अनुमोदित किये जाने के पश्चात् सम्बन्धित संपत्ति अधिकारी द्वारा किराया क्रय पद्धति के अनुसार हो पूरे भवन का अनुबन्ध सम्बन्धित आवंटी से किया जायेगा जिससे कि निर्धारित अर्वाध में किश्ते आवंटी से प्राप्त की जा सके ।
-

विषय संख्या: 14

पृष्ठ संख्या: 46

विषय: लखनऊ विकास प्राधिकरण के वरिष्ठ एवं कनिष्ठ अधिकारियों के वाहन भात्ता में वृद्धि करने हेतु विकास प्राधिकरण के समक्ष प्रस्ताव ।

=====

पिछले कई महीनों से पेट्रोल की कीमतों में वृद्धि हुई है, और वाहनों के रखा-रखाव में अधिक खर्च होने लगा है । उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद, 14-अशोक मार्ग शाक्ति भवन लखनऊ द्वारा अपने कार्यालय ज्ञाप संख्या- 266-डब्लू0बी0/एस0ई0बी0/एस0एस0-xV/111/85--21/10/एलाउ/81, दिनांक फरवरी 14, 1985 द्वारा लखनऊ शहर में नियुक्त अपने उन अधिकारियों को जो अपने निजी मोटर कार का सरकारी कार्य हेतु उपयोग करते हैं, का मासिक वाहन भात्ता स्पये 350/- मासिक कर दिया गया है, और कनिष्ठ अधिकारियों को जो सरकारी कार्य के लिये अपने मोटर साइकिल/स्कूटर आदि का प्रयोग करते हैं, उनका रू 125/- मासिक कर दिया गया है ।

अतः विकास प्राधिकरण के उन सभी अधिकारियों को जो विकास प्राधिकरण की सेवा हेतु अपने निजी मोटर कार का उपयोग करते हैं, और उसका रखा-रखाव स्वयं करते हैं, का मासिक वाहन भात्ता स्पये 350/- मासिक की दर से इस वित्तीय वर्ष के प्रारम्भ अर्थात् अप्रैल 1, 1986 से लागू करने पर विचार किया जाये, और इसी प्रकार से उन समस्त अन्य अधिकारियों को जो प्राधिकरण की सेवा हेतु अपने निजी मोटर साइकिल/स्कूटर आदि का प्रयोग एवं रखा-रखाव स्वयं करते हैं, 125/- स्पये मासिक उक्त तिथि से लागू करने पर प्राधिकरण विचार कर निर्णय लेने का कष्ट करें ।

लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक  
6 सितम्बर, 1986 में विचारणीय अनुपूरक कार्य-सूची

x=x=x=x=x=x

क्रम सं०	विषय	पृष्ठ संख्या
15	चतुर्थ श्रेणी वर्ग के पदों के सृजन के सम्बन्ध में ।	47
16	भाखाण्ड संख्या-2, फोरसिथा मार्ग, लालबाग के भू-उपयोग परिवर्तन के सम्बन्ध में ।	52
17	भू-उपयोग परिवर्तन हेतु परिवर्तन शुल्क एवं विकास शुल्क के सम्बन्ध में	54
18	लखनऊ विकास प्राधिकरण की स्थापना से पूर्व नगर महापालिका द्वारा कालोनियों में निर्मित भावनों के बिक्रय के सम्बन्ध में	59
19	रेल नगर योजना की स्वीकृति के सम्बन्ध में	61
20	केशालोन योजना के अन्तर्गत कानपुर रोड एवं गोमती नगर में विकसित भाखाण्डों पर भावन निर्माण हेतु हडको से ऋण प्राप्त करने की स्वीकृति के सम्बन्ध में	62
21	अध्यक्षा महोदय की अनुमति से अन्य कोई विषय	

BA pass. & educated unemployed  
के लिए दुकानें बनाने योजना  
बतायी गई । -

विषय: चतुर्थ श्रेणी वर्ग के पदों के सृजन हेतु ।

आर०बी०ओ० अनुभाग

शहर में अनाधिकृत निर्माण दिन-प्रतिदिन बढ़ रहे हैं। नित्य ही बढ़ी संख्या में अनाधिकृत निर्माण की शिकायतें प्राप्त होती हैं जिसे फलस्वरूप जाँच कराने से लेकर अनाधिकृत निर्माणों को ध्वस्त करने या उनके शमन करने का कार्य निरन्तर बढ़ रहा है। इस समस्या के प्रभावी निदान हेतु यह आवश्यक है कि इस अनुभाग के लिये निम्नलिखित पद सृजित किये जायें। वर्तमान में इस अनुभाग में कोई भी नियमित पद नहीं है।

पद	संख्या	वेतनमान
गैंगमैन	50	305-390
वार्ड अनुचर	15	305-390

प्रस्ताव यह है कि 25-25 गैंगमैनों के दो गैंग स्थाई तौर पर अनाधिकृत निर्माणों को ध्वस्त करने का कार्य करेंगे। वर्तमान में 35 दैनिक वेतन भोगी ही गैंगमैन के रूप में कार्य कर रहे हैं। यह व्यवस्था सन्तोषजनक ढंग से कार्य नहीं कर रही है और न ही यह संख्या ही पर्याप्त है।

शहर को कार्यरहित में 13 विभागों में विभाजित किया गया है। प्रत्येक वार्ड के लिये एक अनुचर नियुक्त किये जाने का प्रस्ताव है। यह अनुचर उक्त वार्ड की समस्त नोटिसों आदि की तामीली का कार्य करेगा। दो वार्ड अनुचर आर०बी०ओ० विभाग के कार्यालय के लिये प्रस्तावित किये जा रहे हैं। वर्तमान में आर०बी०ओ० अनुभाग के लिये कोई भी वार्ड अनुचर का नियमित पद स्वीकृत नहीं है। यह कार्य किसी प्रकार बिल्डिंग एवं अन्य अनुभागों में कार्यरत अनुचरों के माध्यम से सम्पादित कराया जा रहा है। वर्तमान व्यवस्था न केवल अपर्याप्त है वरन् असन्तोषजनक भी है।

#### भवन अनुरक्षण

भवन अनुरक्षण विभाग द्वारा लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा निर्मित या लखनऊ विकास प्राधिकरण को हस्तान्तरित समस्त पुरानी कालोनियों के रख-रखाव का कार्य सम्पादित किया जाता है।

इन पुरानी कोलोनियों में निर्मित आवासों की स्थिति दिनों दिन आवासों के पुराने हो जाने के कारण खराब होती जा रही है जिसकी वजह से उनके रख-रखाव की आवश्यकता बढ़ती जा रही है। वर्तमान में इस कार्य हेतु जो पद स्वीकृत हैं वह पर्याप्त नहीं है और इसी वजह से इन कालोनियों में निर्मित

आवासों के समुचित रख-रखाव के कार्य में बाधा होती है। अतः प्रस्ताव है कि इस अनुभाग के लिये निम्नलिखित पद सृजित किये जायें :-

पद	संख्या	वेतनमान
इलेक्ट्रीशियन	3	330-495
कारपेन्टर	1	330-495
मेसन	1	305-390
प्लम्बर	2	330-495
पेन्टर	1	330-495
हेल्पर इलेक्ट्रीशियन	3	330-495
हेल्पर कारपेन्टर	1	330-495
हेल्पर मेसन	1	305-390
हेल्पर प्लम्बर	1	330-495
जमादार	10	305-390
चौकीदार	2	305-390
बेलदार	4	305-390

वर्तमान में स्वीकृत पदों की स्थिति संलग्न है।

#### उद्यान विभाग

विकास प्राधिकरण द्वारा विकसित एवं अनुरक्षित पार्कों के रख-रखाव एवं सौन्दर्यीकरण का कार्य निरन्तर बढ़ रहा है और दिन प्रतिदिन पार्कों की संख्या भी बढ़ रही है। लखनऊ विकास प्राधिकरण में नियमित कर्मचारियों के आवश्यक पदों के अभाव में इन पार्कों की देख भाल दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों से कराई जा रही है। इनमें से अधिकांश तीन वर्ष से अधिक समय से कार्यरत हैं। इन कर्मचारियों का नियमितीकरण भी किया जाना है। इस हेतु भी नियमित पदों की आवश्यकता है। अतः पार्कों के लिये निम्नलिखित पदों के सृजन की संस्तुति की जाती है :-

पद	संख्या	वेतनमान
प्रधान माली	6	315-440
सुपरवाइजर	13	315-440
मेट	1	315-440
बेलदार माली	181	305-390
सफाई कर्मचारी	10	305-390
पम्प आपरेटर	1	315-440
ड्राइबर	2	330-495
अनुचर	2	305-390

उपरोक्त के अतिरिक्त पार्कों के निर्माण सम्बन्धी रख-रखाव तथा पार्कों में उपलब्ध प्राधिकरण की सम्पत्ति की देखभाल का कार्य अभियन्त्रण विभाग द्वारा किया जाता है। वर्तमान में भी इस कार्य हेतु कोई भी नियमित पद उपलब्ध नहीं है जबकि पार्कों की बढ़ती हुई संख्या को ध्यान में रखते हुये अभियन्त्रण से सम्बन्धित कार्य भी निरन्तर बढ़ रहे हैं। पार्कों में प्राधिकरण की काफी मूल्यवान सम्पत्ति भी काफी मात्रा में है। जिसकी सुरक्षा की भी नितान्त आवश्यकता है। अतः इन पार्कों की उचित व्यवस्था एवं सम्पत्ति की उचित सुरक्षा हेतु अभियन्त्रण विभाग के लिये निम्नलिखित पदों के सृजन का प्रस्ताव है:-

पद	संख्या	स्थान	वेतनमान
पम्प आपरेटर	2	नीवू पार्क, एवं नजूल पार्क	315-440
मेसन	1	नजूल पार्क	305-390
मेट	1	बुद्धा पार्क	315-440
चौकीदार	50		305-390
गेट कीपर	20		305-390
हेल्पर बेलदार	10	हाथी पार्क नजूल एवं बुद्धा पार्क	305-390
स्वीपर	10		305-390
कैनाल क्लीनर	7	बुद्धा पार्क	305-390
बोट सुपरवाइजर	2	बुद्धा पार्क	315-440
इलेक्ट्रीशियन	4	हाथी पार्क, रेजीडेन्सी, नीवू पार्क, बुद्धा पार्क	330-495

प्राधिकरण के मुख्यालय एवं बाहरी कार्यालयों के लिये चौकीदार के अतिरिक्त पदों के सृजन का प्रस्ताव

विकास प्राधिकरण कार्यालय, जो अन्धेरे आप में एक बहुत बड़ा कार्यालय है के अतिरिक्त 12 अभियन्त्रण खण्ड कार्यालय वर्तमान में कार्यरत हैं। इसके अतिरिक्त विभाग के अभियन्त्रण स्टोर्स कार्यालय प्रांगण के बाहर ही स्थित है। इन सभी कार्यालयों के लिये वर्तमान में कुल 7 चौकीदारों के नियमित पद स्वीकृत हैं जोकि कार्यालयों एवं स्टोर्स की संख्या को देखते हुए विल्कुल अपर्याप्त हैं। नियमित पदों के अभाव में इन सभी कार्यालयों की चौकीदारी का कार्य दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों से लिया जा रहा है जोकि उचित नहीं है। अतः प्रस्ताव है कि चौकीदारों के निम्नलिखित पद सृचित कर दिये जायें :-

पद	संख्या	वेतनमान
चौकीदार	20	305-390

ड्राईवरों के अतिरिक्त पदों के सृजन हेतु प्रस्ताव

वर्तमान में प्राधिकरण में केवल 25 ड्राईवरों के नियमित पद स्वीकृत हैं जबकि प्राधिकरण में हल्के व भारी वाहनों की संख्या लगभग 45 है। कुछ नई गाड़ियों के क्रय का मामला विचारार्थीन है। स्वीकृत पदों के अतिरिक्त ड्राईवर की आवश्यकता की पूर्ति दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों से कराई जा रही है। यह व्यवस्था उचित नहीं है। अतः प्रस्ताव है कि ड्राईवरों के निम्नलिखित पद सृजित कर दिये जायें :—

पद	संख्या	वेतनमान
ड्राईवर	25	330-495

ह०/=  
संयुक्त सचिव-ओ

सचिव/उपाध्यक्ष के आदेश - विषय विकास प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत किया जाये ।

ह०/=  
सचिव

ह०/=  
उपाध्यक्ष,

चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के पदों के संबंध में विवरण

पदनाम	स्वीकृत पदों की संख्या 9 मार्च 1983 के बाद स्वीकृत पदों की संख्या सहित	निर्णयित कार्यरत की संख्या	रिक्त
ड्राईवर	25	20	5
चौकीदार	07	07	-
अनुचर/अर्दली/कुली/वाटरमैन/फर्राश	98	79	19
दफ्तरी	2	2	-
कुर्सी बुनकर	1	1	-
स्वीपर	2	2	-
कारपेन्टर	1	1	-
मिस्त्री	1	1	-
इलेक्ट्री शियन	3	1	2
मेसन	1	1	-
मेट	5	4	1
पम्पआपरेटर	3	1	2
हेल्पर/क्लीनर	2	2	-
वेलदार	3	2	1
गैंगमैन	21	15	6
प्लम्बर	3	3	-
प्रधान माली	8	3	5
माली	84	74	10
वर्क एजेण्ट	1	1	-
चेनमैन	8	6	2
नोटिस सर्वर	4	2	2
ब्लू प्रिन्टर	6	1	5
सुरक्षा गार्ड	8	4	4

~~अनुमोदित~~ अनुमोदित  
defers to the  
second meeting



COMMERCIAL BUILDERS PRIVATE LTD.

PROMOTERS AND BUILDERS

4th Sept. 1986

Hon'ble Vice Chairman,  
Lucknow Development Authority  
J.C. Bose Marg,  
Lucknow.

Sub. Conversion of land use of 2, Forsyth Road (Lalbagh)  
Lucknow in planning district A, Zone No.4

Respected Sir,

The applicant submits as under :-

That the applicant company owns a land measuring 42260Sq. ft. out of this area, the front portion of the plot approximately 30 ft. has already been declared commercial by virtue of notification U/s 9 of the U.P. Urban and planning Development Act.1973 in respect of planning district A, Zone No.4 (Hazratganj-Area) in July, 1986.

The applicant now relying upon the G.O.No.5748/11-5-86-52 dated 12th August, 1986 issued by the Government of U.P. Nagar Vikas Vibhag, requests that the remaining area of the plot situated at 2, Forsyth Road (Lalbagh) Lucknow may be converted and declared as commercial. The site plan is enclosed.

It is therefore requested that the land use of the above plot may kindly be changed and the development charges, payable may kindly be intimated at the earliest, so that the same may be paid. The early action in the matter shall be highly solicited.

Thanking you in anticipation.

Yours faithfully,

Encl.: As above.

For Commercial Builders Pvt. Ltd.,

Director

विषय:- भू-उपयोग परिवर्तन हेतु परिवर्तन शुल्क एवं विकास  
शुल्क के सम्बन्ध में ।

लखनऊ नगर के विकसित क्षेत्रों में बनने वाले नये भावनों के कारण वर्तमान सुविधाएँ कि विकसित क्षेत्र पर नये भावनों की आवश्यकता पूर्ति के लिये पर्याप्त न होगी चूँकि वर्तमान सुविधाएँ काफी पुरानी हैं और विकसित क्षेत्रों पर बहुछाण्डीय भावनों के निर्माण के लिये कारगर साबित नहीं होगी । अतः बहुछाण्डीय भावनों के निर्माण के बाद सुविधाओं पर पडने वाले भार के कारण सुविधाओं का सुदृढीकरण व नवीनीकरण आवश्यक है । इसके सन्दर्भ में शासनादेश संख्या: 5748/11-5-86, दिनांक: 18-8-1986 द्वारा भू-उपयोग परिवर्तन शुल्क जो उपरोक्त शासनादेश में उल्लिखित है, तथा विकास शुल्क के सम्बन्ध में शासनादेश में चर्चा की गयी है इसका अनुमोदन शासनादेश में उल्लिखित पृष्ठ संख्या-4 के बिन्दु नं०-4 पर विकास प्राधिकरण से प्राप्त करना आवश्यक है । अतः इस संबंध में विकास प्राधिकरण के समक्ष उपरोक्त शासनादेश पर विचार करने हेतु प्रेषित है ।

- प्रस्ताव:
- §1§ शासनादेश में उल्लिखित पृष्ठ- 4 के बिन्दु 4 पर विकास प्राधिकरण का अनुमोदन ।
- §2§ शासनादेश में उल्लिखित पृष्ठ- 3 के बिन्दु 9 पर विकास प्राधिकरण का अनुमोदन ।

कृपया उपरोक्त पर अनुमोदन प्रदान करने का कष्ट

करें ।

=====

सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, नगर विकास के पत्र संख्या-  
5748/11-5-86 दिनांक 12 अगस्त, 86 की  
प्रतिलिपि  
=====

पृष्ठ संख्या:

भू-उपयोग परिवर्तन हेतु परिवर्तन शुल्क एवं विकास शुल्क के  
x-x  
सम्बन्ध में ।  
x-x-x-x-x

उपर्युक्त विषय पर मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि शहर के विकसित क्षेत्रों में बनने वाले नये भवनों को उस क्षेत्र में वर्तमान सुविधाओं के लिए तथा नवीन निर्माण द्वारा उन सुविधाओं पर बढ़ रहे भार को वहन करने के लिए एवं उस भार के कारण सुदृढ़ीकरण और नवीनीकरण की आवश्यकता को पूर्ति के लिए विकास प्राधिकरण इस प्रकार के भवनों के निर्माण को अनुमति देते समय विकास शुल्क लेने के अधिकारी होंगे । इसी प्रकार यदि किसी भूखण्ड के भू-उपयोग में परिवर्तन का निर्णय लिया जाता है तो भी उस परिवर्तन द्वारा जनहित भार को वहन करने के लिए भी इसी प्रकार का परिवर्तन शुल्क नगर के विकास को स्थिति के स्तर को बनाये रखने और सुधार करने हेतु देय होगा ।

भू-उपयोग परिवर्तन शुल्क :- ऐसे भूखण्ड जो महायोजनानुसार आवासीय क्षेत्र में है किन्तु निर्माणकर्ता उन पर कार्यालय अथवा व्यावसायिक भवन का निर्माण करना चाहते हैं उनको भवन निर्माण को अनुमति आवासीय नियमों की परिधि में प्राधिकरण उचित समझे तो दी जा सकती है किन्तु उनको जिला मजिस्ट्रेट का स्थानीय भूमि दर अथवा स्थानीय संस्था/निकाय के भूमिदर जो भी अधिक हो का निम्नलिखित प्रतिशत प्रीमियम हेतु देय होगा :-

1-	आवासीय से कार्यालय	50 प्रतिशत,
2-	आवासीय से व्यावसायिक	100 प्रतिशत,
3-	कार्यालय से व्यावसायिक	50 प्रतिशत,

§1 § यदि क्षेत्र व्यावसायिक है तो कार्यालय अथवा आवासीय इकाई हेतु किसी प्रकार का प्रीमियम न लेते हुए अनुमति दी जा सकती है ऐसे विषयों में जिस प्रकार निर्माण प्रस्तावित होगा तदनुसार सेटबैक भू-आच्छादन तथा एफ०ए०आर० के नियम लागू होंगे ।

§2 § नजूल भूखण्डों पर आवासीय से कार्यालय अथवा आवासीय से व्यावसायिक अथवा कार्यालय से व्यावसायिक उपयोग स्वीकृत कराने हेतु नजूल मैनुअल के अनुसार प्रीमियम देय होगा तथा यह परिवर्तन शासन के पूर्व अनुमोदन से ही दिया जायेगा ।

भू-स्वामी भवन चित्र पास कराने के पूर्व नियमानुसार प्राधिकरण द्वारा निर्धारित पूर्ण विकास शुल्क एक मुश्त जमा करेंगे ।

§3§ विकास शुल्क :-विकास शुल्क उप सेवाओं के विस्तार या सुदृढीकरण क्षेत्र में लिया जायेगा जो कि नगर के अन्य भागों या विकास प्राधिकरणों के अन्य क्षेत्रों में उपलब्ध है तथा विशिष्ट क्षेत्र में उनका होना आवश्यक है ।

2- विकास प्राधिकरण या किसी अन्य संस्था द्वारा जो नये क्षेत्र विकसित किये गये हों और उनके भूखण्डों के विक्रय मूल्य में वाह्य विकास व्यय तथा आंतरिक विकास व्यय सम्मिलित है तो इस प्रकार के विकसित किसी भूखण्डों का मानचित्र स्वीकृत करते समय पुनः किसी प्रकार का विकास शुल्क नहीं लिया जायेगा ।

3- जिन नगरों/क्षेत्रों में सीवर तथा अन्य कोई सुविधायें उपलब्ध नहीं है तो उस नगर में विकसित क्षेत्र में उस सुविधा हेतु विकास शुल्क लिया जाना उपयुक्त न होगा । भू-उपयोग परिवर्तन सामान्यतः नव नियोजित एवं नव-विकसित कालोनियों में लागू नहीं होगा । यदि विशेष परिस्थितियों में भू-उपयोग परिवर्तन किया जाता है तो उपरोक्तानुसार परिवर्तन शुल्क देय होगा ।

4- यदि किसी क्षेत्र के अनाधिकृत रूप से विभाजन के उपरान्त भूखण्ड आदि का विक्रय किया जा चुका है और विक्रय के उपरान्त अनाधिकृत रूप से भवन बनाया गया है तथा सड़क, पानी, बिजली, सीवर आदि सभी अथवा एक सुविधा का अभाव है तो उस क्षेत्र का विनियमितकरण करने से पूर्व तथा मकान के निर्माण/विकास की स्वीकृति देने से पूर्व प्रत्येक भूखण्ड के क्षेत्रफल पर वाह्य विकास एवं आंतरिक विकास शुल्क वास्तविक स्थिति के आधार पर लिया जाना आवश्यक होगा ।

5- नगर के विकसित क्षेत्र जहाँ पानी, सड़क, बिजली की सुविधायें उपलब्ध है, परन्तु उनको मात्रा आवश्यकता के अनुसार पूरा नहीं है, वहाँ पर निर्माण/विकास की स्वीकृति देने से पूर्व निर्धारित वाह्य तथा आंतरिक विकास की दर के आधार पर विकास शुल्क लिया जायेगा ।

6- आवासीय उपयोग के लिए विकास शुल्क किसी क्षेत्र को सामान्य सुविधाओं व उनके सुदृढीकरण की आवश्यकता को देखकर निर्धारित किया जायेगा । व्यवसायिक व कार्यालय भू-उपयोग के लिए घूँक उन्हे अपेक्षाकृत अधिक रफ०स०आर० दिया जाता है इस लिए विकास शुल्क आवासीय उपयोग के लिए निर्धारित शुल्क से 50 प्रतिशत अधिक देय होगा ।

7- विकास शुल्क तथा भू-उपयोग परिवर्तन शुल्क का लेखा अलग से रखा जायेगा और यह धन केवल नगर के विकास हेतु ही प्रयोग किया जायेगा ।

8- जो ग्राम योजना क्षेत्र में है उनके विकास कार्य योजना के विकास कार्यों के साथ कराये जाने चाहिए और इनका व्यय योजना के मूल विकास व्यय में सम्मिलित होना चाहिए । यदि कोई व्यक्ति योजना व गाँव के मध्य कितने भूखण्ड पर भवन निर्मित करता है तो उससे आंतरिक तथा वाह्य विकास शुल्क लिया जाना चाहिए ।

9- नगर के पुराने विकसित क्षेत्रों में सुविधाओं के विस्तार एवं सुदृढीकरण हेतु विकास शुल्क निम्नवत लिया जायेगा :-

§1§ जिन क्षेत्रों में सोवर व्यवस्था है वहाँ पर ₹ 5.00 प्रति वर्गफुट की दर से वसूल किया जायेगा ।

§2§ जिन क्षेत्रों में सोवर व्यवस्था नहीं है वहाँ पर ₹ 3.00 प्रति वर्गफुट की दर से वसूल किया जायेगा ।

§3§ पुराने विकसित क्षेत्र के मध्य जो अविकसित क्षेत्र पड़े है और उनका Sub Division Plan स्वीकृत हेतु प्रस्तुत किया गया है तथा विकास मानचित्र को स्वी कृत करने से पूर्व वास्तविक वाह्य तथा आंतरिक विकास शुल्क लिया जायेगा ।

§4§ उपरोक्त के सम्बन्ध में विकास प्राधिकरण के समक्ष प्रस्ताव रखकर अनुमोदन प्राप्त कर शासन को सूचित को सूचित किया जायेगा ।

शासनादेश संख्या: 5748/11-5-86 दिनांक: 12 अगस्त 1986  
के पृष्ठ- 3 के विन्दु- 9 के अन्तर्गत अनुमोदन ।

उपरोक्त शासनादेश के अन्तर्गत पृष्ठ- 3 के विन्दु- 9 में नगर के पुराने विकसित क्षेत्र में सुविधाओं के विस्तार एवं सुदृढीकरण हेतु विकास शुल्क निम्नवत प्रस्तावित किये गये हैं ।

- 1- जिन क्षेत्रों में सोवर व्यवस्था है वहाँ पर ₹ 5.00 प्रति वर्गफुट की दर से वसूल किया जायेगा ।
- 2- जिन क्षेत्रों में सोवर व्यवस्था नहीं है वहाँ पर ₹ 3.00 प्रति वर्गफुट की दर से वसूल किया जायेगा ।
- 3- पुराने विकसित क्षेत्र के मध्य जो अविकसित क्षेत्र पड़े हैं और उनका सब डिविजन प्लान § Sub Division Plan § स्वीकृत हेतु प्रस्तुत किया गया है तथा विकास मानचित्र को स्वीकृत करने से पूर्व वास्तविक वाह्य तथा आंतरिक विकास शुल्क लिया जायेगा ।

उपरोक्त विकास शुल्क प्राधिकरण द्वारा जनता से वसूल करने हेतु प्रस्ताव विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत हैं ।

*M. K. Sharma*  
Adopted

विषय: लखनऊ विकास प्राधिकरण की स्थापना से पूर्व नगर महापालिका द्वारा कालोनियों में निर्मित भावनों के विक्रय के सम्बन्ध में ।  
=====

लखनऊ विकास प्राधिकरण की स्थापना से पूर्व लखनऊ नगर में विभिन्न कालोनियों में लगभग 3,000 भावन नगर महापालिका लखनऊ द्वारा उत्तर प्रदेश शासन से ऋण लेकर निर्मित किये गये थे । भावनों का निर्माण करने के पश्चात् ये भावन किराये पर व्यक्तियों को दिये गये थे । लखनऊ विकास प्राधिकरण की स्थापना के उपरान्त उपरोक्त सम्पत्ति लखनऊ विकास प्राधिकरण को प्राप्त हुई । इसमें रु 79.00 लाख की धनराशि ₹ मूल धन तथा ब्याज के रूप में ₹ वित्ता में थी । वर्ष 1976 में प्राधिकरण द्वारा निर्णय लिया गया कि इस वित्ता की धनराशि का 10 समान किश्तों में प्रति वर्ष भुगतान किये जाने वाले ब्याज तथा मूल धन के प्रतिदान सहित शासन को भुगतान किया जाये, तदनुसार लखनऊ विकास प्राधिकरण लगातार भुगतान करता आ रहा है । इस प्रकार प्रति वर्ष भुगतान की जाने वाली धनराशि ₹ मूल धन तथा ब्याज के रूप में ₹ लगभग रु 18.00 लाख है । इसके अतिरिक्त कम से कम रु 2.00 लाख से रु 3.00 लाख तक मरम्मत पर व्यय करना पड़ता है और अधिष्ठान पर भी रु 1.50 लाख व्यय होता है ।

इस प्रकार कुल व्यय रु 22.00 लाख से रु 23.00 लाख के मध्य आता है, जबकि किराये से प्राप्त होने वाली आय प्रति वर्ष रु 10.00 लाख से रु 12.00 लाख के मध्य है ।

2. मजदूरी तथा सामग्री की दरों में वृद्धि के फलस्वरूप वांछित मरम्मत कराया जाना भी सम्भव नहीं हो पा रहा है । फलस्वरूप अनुरक्षा का स्तर दिन प्रति दिन गिरता जा रहा है और शीघ्र ही ये भावन असुरक्षित हो जाने की सम्भावना है ।

3. उपरोक्त आवातों में से अधिकतर आवास अत्यन्त आकस्मिक क्षत्रों में स्थित होने के बाद भी किराये की वसूली सन्तोषजनक नहीं है ।

4. लखनऊ विकास प्राधिकरण का उद्देश्य भावनों का निर्माण करके उनको विक्रय करना है, अतः उद्देश्य के विपरीत उपरोक्त भावनों को किराये पर रखना प्राधिकरण के लिये उचित नहीं है । चूँकि इन भावनों से प्राधिकरण को निरन्तर आर्थिक क्षति हो रही है जैसा कि उपरोक्त क्रम सं०: एक में अंकित किया गया है ₹ तथा भावनों का अनुरक्षा भी सन्तोषजनक नहीं है एवं ईच्छुक व्यक्ति स्वयं भी उनकी मरम्मत कराने में तर्क्य नहीं हो पाते हैं, अतः यह सुझाव है कि उपरोक्त भावनों के विक्रय की कार्यवाही प्रारम्भ की जाये और इस क्रम में सर्वप्रथम उन किरायेदारों को भावन विक्रय किये जायें, जो स्वेच्छा से भावन क्रय करना चाहते हों ।

राजेश

क्रमशः—

5. उपरोक्त भावनों के विक्रय के सम्बन्ध में यह विषय उत्तर प्रदेश शासन में काफी समय से विचाराधीन है। चूंकि बिल्लौचपुरा, ब्राग मिर्जा जुम्मा, नैपियर रोड पार्ट-प्रथम व द्वितीय, वाल्दा रोड कालोनी, महानगर चुंगी के निकट, कुतुबपुर इरादत नगर, निरालानगर, आई0टी0कालेज & दुकानों के ऊपर &, महानगर विस्तार, पान्डेय का तालाब, पेपर मिल कालोनी, हाता खुदा बक्शा, बशीरतगंज, करवला मलका जहाँ & तिलक नगर & तथा नरही & पार्क लेन & के स्थानों की भूमि ट्रस्ट की है, अतः उक्त कालोनियाँ शासन की सम्पत्ति नहीं हैं। फलस्वरूप उनके विक्रय के सम्बन्ध में लखनऊ विकास प्राधिकरण निर्णय लेने हेतु सक्षम है।

6. प्रथम में उपरोक्त भावनों को क्रय करने का अवसर उनमें रहने वाले किरायेदारों को दिया जाये। भावनों के मूल्य का निर्धारण निम्न सिद्धान्त पर आधारित होगा :-

- 1 & पी0डब्लू0डी0 शोइयुल के अनुसार & भावनों के स्पेसिफिकेशन के अनुसार & वर्तमान प्लानिंग एरिया रेट के आधार पर निर्माण लागत निकाली जाये &
- 2 & इनकम टैक्स ऐक्ट के अनुसार ब्रास & डेपरिसियेशन & लगाया जाये।
- 3 & भूमि का मूल्य जिलाधिकारी लखनऊ द्वारा निर्धारित दर से लगाया जाये।

पु स्ता व  
=====

प्राधिकरण कृपया उपरोक्त क्रम संख्या- 6 के अनुसार भावनों के विक्रय के लिये स्वीकृति प्रदान करने का कष्ट करें।

=====

अनुमति  
वास्तव में यह नहीं लाना है।  
जब तक कि (विक्रय) के लिए  
जो यह किरायेदार से रहने  
उ-11 से यह रहने रहने।

6 months. is full payment.  
अथवा Sale-deed करे शज

लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक में रेल नगर योजना की स्वीकृति हेतु

1. योजना का नाम:-

लखनऊ कानपुर रोड नगर प्रसार योजना के अन्तर्गत रेल नगर योजना सेक्टर 'जे' का विकास एवं भवन निर्माण का कार्य ।

2. योजना की स्थिति:-

यह योजना बिजनौर रोड पर चारबाग रेलवे स्टेशन से मात्र 3.0 कि.मी. दूरी पर स्थित है, एवं इस योजना के साथ लगी शारदा नहर के किनारे सार्वजनिक निर्माण विभाग एवं सिविल विभाग की कालोनी स्थित है।

3. योजना का प्रस्ताव:-

रेल नगर में केन्द्रीय कर्मचारियों की योजना हेतु धनांक रु 141.50 लाख का ऋण हडको में प्रेषित किया गया है। कृपया इस योजना की हडको से ऋण प्राप्त करने की स्वीकृति देने की कृपा करें।

*[Handwritten signature]*

विषय : "कैला लोन" योजना के अन्तर्गत कानपुर रोड योजना में 1914 तथा गोमती नगर योजना में 101 विकसित साइट ऐण्ड सर्विसेज़ के भूखण्डों पर भावन निर्माण हेतु हडको से ऋण प्राप्त करने के सम्बन्ध में

=====

यह अनुभाव किया गया है कि सार्वजनिक भूमि पर कुछ व्यक्ति झुग्गी-झोपड़ी बनाते चले आ रहे हैं और उन्हें राकने में कोई विशेष सफलता प्राप्त नहीं हो रही है, इसका एक मुख्य कारण यह भी है कि अत्यन्त गरीब लोगों के लिये कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं है। लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा विभिन्न आवासीय वस्तियों में जो आर्थिक दृष्टि से दुर्बल आय वर्ग के भावनों का निर्माण किया जा रहा है, उन भावनों के मूल्य पर गरीब लोग मकान लेने में अपने आप को असमर्थ पा रहे हैं। अतः यह आवश्यक प्रतीत होता है कि लखनऊ विकास प्राधिकरण की विभिन्न आवासीय योजनाओं में कुछ भूमि ऐसे व्यक्तियों के लिये निश्चित की जाये, जो स्वयं अपना आवास बना सके।

इस योजना के अन्तर्गत भूखण्डों का विकास लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा किया जायेगा, उसके पश्चात् उस भूखण्ड पर भावन का निर्माण सम्बन्धित व्यक्ति द्वारा किया जायेगा। जाहिर है कि ऐसे व्यक्ति जो मकान स्वयं ही निर्मित करायेगे, तो एक ओर तो लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा निर्मित भावनों की अपेक्षा कम मूल्य पर बनेगे, दूसरे उन्हें मानसिक सन्तोखा गुणावत्ता के सम्बन्ध में होगा, तीसरी बात यह भी है कि वह उतनी ही धानराशि ऋण के रूप में लखनऊ विकास प्राधिकरण से प्राप्त करेंगे, जितनी पुर्नभुगतान की उनकी क्षमता है और उस क्षमता के अन्तर्गत ऋण प्राप्त करके भावन का निर्माण करेंगे। इस प्रकार इस योजना के अन्तर्गत भावनों का निर्माण होने से गरीब वर्ग के लोगों को स्वच्छ एवं स्वास्थ्यप्रद वातावरण उपलब्ध होगा।

उपरोक्त को दृष्टगत रखाते हुए "कैला लोन" योजना के अन्तर्गत कानपुर रोड योजना में 1914 तथा गोमती नगर योजना में 101 विकसित साइट ऐण्ड सर्विसेज़ के भूखण्ड पर एक कमरे वाले भावनों के निर्माण हेतु 214.05 लाख रुपये की योजना तैयार कर हडको से ऋण प्राप्त करने की स्वीकृति प्रदान करने का कष्ट करें।

इस सम्बन्ध में विस्तृत शर्तों का उल्लेख विषय संख्या-13 § मूल विषय सूची § के अन्तर्गत पृष्ठ 43 से 45 तक किया गया है।

अतः विषय प्राधिकरण के समक्ष स्वीकृति प्रस्तुत है।

अ. अ. अ. अ.  
6/9/72

प्रस्ताव :- हडको से ऋण प्राप्त करने के सम्बन्ध में

कानपुर मार्ग योजना के सक्टर ११२ में 483 एक कमेर वाले भावनों हेतु भूमि उपलब्ध है। भूखण्डों का ले-आउट तैयार है। इन भूखण्डों का बाह्य विकास भी पूर्ण हो चुका है। आन्तरिक विकास करा कर आर्थिक दृष्टि से दुर्बल आय वर्ग के भावनों का निर्माण किया जा सकता है।

इन भावनों का निर्माण हडको के ऋण से करने का प्रस्ताव है। अतः भूमि दर 100/= प्रति वर्ग मी० (सर्वातडी के तहत) 25 प्रति भावन लागत रू०-15,000/= की दर से 483 भावनों हेतु 72.45 लाख का ऋण हडको से प्राप्त करने के प्रस्ताव की स्वीकृति प्रदान कर दी जाय।

लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक  
 दिनांक 6 सितम्बर, 1986 का कार्यवृत्त  
 =====

उपस्थिति:

- |     |                        |   |
|-----|------------------------|---|
| 1-  | श्री राम कृष्ण         | आयुक्त, लखनऊ मण्डल एवं<br>अध्यक्ष, लखनऊ विकास-<br>प्राधिकरण, लखनऊ । |
| 2-  | श्री अखण्ड प्रताप सिंह | सचिव, उत्तर प्रदेश शासन,<br>आवास एवं नगर विकास<br>विभाग ।           |
| 3-  | श्री नरेश दयाल         | जिलाधिकारी, लखनऊ  |
| 4-  | श्री गोविन्दन नायर     | उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास<br>प्राधिकरण, लखनऊ ।                          |
| 5-  | श्री शारद अस्थाना      | संयुक्त सचिव, उत्तर प्रदेश<br>शासन, वित्त विभाग ।                   |
| 6-  | श्री स्न०एस०जौहरी      | मुख्य ग्राम एवं नगर नियोजक<br>उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।                  |
| 7-  | श्री डी०पी०सिंघाल      | मुख्य अभियन्ता,<br>उत्तर प्रदेश जलनिगम, लखनऊ ।                      |
| 8-  | डा० वी०स्न०खान्ना      | सदस्य, विधान परिषद एवं<br>सदस्य, लखनऊ विकास प्राधिकरण,              |
| 9-  | श्री राम नगीना सिंह    | सदस्य, लखनऊ विकास प्राधिकरण   |
| 10- | श्रीमती उमा त्रिपाठी   | सदस्या, लखनऊ विकास<br>प्राधिकरण, लखनऊ ।                             |

=====

अन्य उपस्थिति:

- |    |                  |                                       |
|----|------------------|---------------------------------------|
| 1- | श्री शैलेश कृष्ण | सचिव, लखनऊ विकास<br>प्राधिकरण, लखनऊ । |
|----|------------------|---------------------------------------|

विषय संख्या: 1

लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक  
26-7-86 के कार्यवृत्त का पुष्टिकरण ।

निर्णय :

लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक  
26-7-1986 के कार्यवृत्त की पुष्टि निम्नांकित  
संशोधनों के साथ की गई :-

- विषय संख्या: 3 बीस सूत्रीय कार्यक्रम में  
दुकानों हेतु स्थल चयन हेतु  
निम्नांकित सदस्यों की एक  
उप-समिति बनाई जाती है :
- |    |               |
|----|---------------|
| 1- | ए०डी०एम० सिटी |
| 2- | एस० पी० सिटी  |

3- उप-प्रशासक, नगर महापालिका, लखनऊ ।

4- डायरेक्टर वी०एन०एन०, सदस्य

5- श्री राम नगीना सिंह, सदस्य

6- श्रीमती उमा त्रिपाठी, सदस्या

7- मुख्य अभियन्ता, लखनऊ  
विकास प्राधिकरण ।

उपरोक्त उप-समिति नगर में निरीक्षण करके उपयुक्त स्थानों का चयन करेगी जिसपर कम दामों पर बीत-सूत्रीय कार्यक्रम के अन्तर्गत ढूँढानों का निर्माण किया जायेगा ।

विषय सं०:८ निर्णय में जोड़ दिया जाये कि  
" उप-समिति द्वारा प्रस्तुत  
संस्तुतियाँ यथावत् अनुमोदित की  
गईं "

विषय सं०:९ उक्त निर्णय के अन्त में यह भी  
जोड़ दिया जाये कि " इस  
सम्बन्ध में तीलिंग विभाग से भी  
अनापत्ति प्राप्त कर ली जाया करे ।"

विषय संख्या: 2

बीत सूत्रीय कार्यक्रम के अन्तर्गत किये गये कार्यों  
की प्रगति आख्या ।

निर्णय :

विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि जो भावन  
ई०डब्लू०एस० के तथा जो भूखण्ड साइट ऐण्ड  
सर्विसेज़ के बन चुके हैं उनकी आवन्तन की सूचना  
भी अर्कित की जाये ।

2४क४ खाण्डवार प्रगति के साथ उनके आवन्तन की  
भी सूचना अर्कित की जाये ।

2४ख४ राधाग्राम तथा ला-प्लास के सम्बन्ध में भी  
प्रगति रक्खी जाये तथा अलीगँज के तीवर के  
सम्बन्ध में यह निर्देश दिया गया कि उसकी  
चेकिंग उत्तर प्रदेश जलनिगम द्वारा शीघ्र  
की जाये जिसके लिये सदस्य श्री राम नगीना सिंह  
को भी सम्बन्ध किया जाता है ।

2४ग४ अवलोकन किया गया ।

विषय संख्या: 3

लखनऊ विकास प्राधिकरण के वादों के सम्बन्ध में मुख्य विधि सलाहकार को अधिकार प्रतिनिधानित किये जाने के सम्बन्ध में ।

निर्णय :

विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि लखनऊ विकास प्राधिकरण की ओर से विकास प्राधिकरण के मुख्य विधि सलाहकार को वाद पत्रों, प्रतिवाद पत्रों, अपीलों व निगरानियों हेतु पत्रों तथा उनसे सम्बन्धित वकालतनामों पर हस्ताक्षर करने हेतु अधिकार प्रदत्त करने हेतु और उनके द्वारा अबतक वकालतनामों एवं वाद पत्रों आदि पर किये गये हस्ताक्षरों को अनुमोदित करने के सम्बन्ध में प्रस्तुत प्रस्ताव स्वीकृत किया गया । उपरोक्त अधिकार श्री एस०पी०अग्रवाल मुख्य विधि सलाहकार को ही प्रतिनिधानित किये जाते हैं । नवन्युक्ति पर पुनः प्रस्ताव प्रस्तुत किया जायेगा ।

विषय संख्या: 4

उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास अधिनियम 1973 की धारा-46 के अन्तर्गत अधिप्राप्तीकरण एवं धारा-26, 26, 26, 26 व 28 के अन्तर्गत इन्फोसिमेंट शाखा के सहायक अभियन्ताओं को कुछ विधिक अधिकार प्रतिनिधानित करने के सम्बन्ध में ।

निर्णय :

विचार विमर्श के उपरान्त प्रस्ताव यथावत् स्वीकृत किया गया ।

विषय संख्या: 5

माल एवन्यु स्थित भूखण्ड संख्या-14 ए एवं 17 ए के सम्बन्ध में ।

निर्णय :

इस मामले पर विकास प्राधिकरण ने गम्भीर रूप से विचार-विमर्श किया । चूंकि विकास प्राधिकरण की लगभग 70,000 वर्गफिट भूमि का वाद न्यायालय में लम्बित है जिसके फलस्वरूप विकास-प्राधिकरण कोई योजना चलाने में अस्मर्त्ता हो रहा है जिससे काफी हानि हो रही है । पूर्व में श्रीमती बक्षानी से समझौते हेतु वार्ता हुई और श्रीमती बक्षानी ने यह प्रार्थनापत्र दिया कि उन्हें 2200 वर्गमीटर भूमि दे दी जाये और उसका रेट ₹ 10/- प्रति वर्गफिट से कम लगाया जाये । इसपर विकास प्राधिकरण ने विचार करके यह निर्णय लिया कि श्रीमती बक्षानी को 2200 वर्गमीटर भूमि दिया जाना सम्भव नहीं है परन्तु यदि वे चाहें तो उनको तथा उनके परिवार को सम्मिलित रूप से 1675 वर्गमीटर भूमि ₹ 10/- प्रति वर्गफिट की दर से दी जा सकती है । उपरोक्त मूल्य किसी प्रकार से दृष्टान्त नहीं बन सकता है क्योंकि प्राथिनी को विस्थापित की हैसियत से दिया जाना उचित होगा क्योंकि इनसे विकास प्राधिकरण को लगभग 50,000 वर्गफिट भूमि मिल रही है ।

- विषय संख्या: 6 आर्थिक दृष्टि से दुर्बल आय वर्ग के व्यक्तियों को कम मूल्य पर भावन उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में  
निर्णय : विचारोपरान्त प्रस्ताव यथावत् स्वीकृत किया गया । यह दरें दिनांक 1-11-86 से लागू की जायेगी ।
- विषय संख्या: 7 लखनऊ विकास प्राधिकरण के नियन्त्रण में आने वाली किराये पर दी गई दुकानों के विक्रय के सम्बन्ध में ।  
निर्णय : प्रस्ताव स्वीकार किया गया ।
- विषय संख्या: 8 विभिन्न व्यक्तियों को योजना के अन्तर्गत अर्जित भूमि के बदले विकसित भूमि दिये जाने के सम्बन्ध में ।  
निर्णय : प्रस्ताव यथावत् स्वीकृत किया गया ।
- विषय संख्या: 9 लखनऊ नगर के बाहरी भागों में जो अनधिकृत कालोनी विकसित हो रही हैं उनका नियोजित विकास ।  
निर्णय : विचारोपरान्त प्रस्तुत प्रस्ताव निम्नांकित संशोधनों के साथ स्वीकृत किया गया : प्रारम्भ में ही नगर के कुछ क्षेत्रों को उक्त योजना में सम्मिलित कर लिया जाये ।
- विषय संख्या: 10 लखनऊ नगर के भीतरी भागों के पुनर्विकास तथा अर्बन रिन्डुवल की योजना ।  
निर्णय : विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि कोई भी योजना प्रस्तावित करने से पहले प्राधिकरण से उसकी स्वीकृति ले ली जाये । इस संशोधन के साथ प्रस्ताव स्वीकार किया गया ।
- विषय संख्या: 11 नियोजन विभाग के सुदृढीकरण हेतु पदों के सृजन की स्वीकृति के सम्बन्ध में ।  
निर्णय : निर्णय लिया गया कि प्रस्तावित पदों के सृजन हेतु शासन को लिखा जाये तथा अन्तरिम अवधि में कन्ट्रैक्ट बेसिस पर उचित व्यक्तियों को रखा लिया जाये । साथ ही साथ कम्प्यूटर विभाग के लिये जो प्रस्ताव शासन को भेजा गया है उसमें भी कन्ट्रैक्ट बेसिस पर उचित व्यक्तियों को रखा लिया जाये ।
- विषय संख्या: 12 गोमती नगर योजना/कानपुर रोड योजना में होटल के लिये भूमि दिये जाने के सम्बन्ध में ।  
निर्णय : होटल के सम्बन्ध में प्राप्त प्रार्थनापत्रों पर विचार किया गया तथा विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि गोमती नगर योजना में निम्नांकित दो ही

होटल को भूमि देना उपयुक्त पाया गया :

1- मेसर्स ऐशियायन होटल

2- मेसर्स इन्डियन होटल

चूँकि मेसर्स ऐशियायन होटल लि० द्वारा अधिक भूमि की माँग की गई है अतएव उन्हें गोमती नगर योजना में भूमि प्रस्तावित शर्तों पर दी जाये ।

कानपुर रोड योजना में जो प्रार्थनापत्र प्राप्त हुए हैं उसमें मेसर्स सूर्या होटल को सबसे अधिक उपयुक्त पाया गया अतएव कानपुर रोड योजना के सेक्टर बी या अन्य किसी सेक्टर में भूमि उपलब्ध करा दी जाये ।

विषय संख्या: 13

निर्णय :

नकद ऋण ४ कैश लोन ४ से सम्बन्धित योजना

विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि योजना के लाभार्थियों से रु० 500/- पंजीकरण की धनराशि जमा करा ली जाये । शेष प्रस्ताव स्वीकृत किया गया ।

विषय संख्या: 14

निर्णय :

लखनऊ विकास प्राधिकरण के वरिष्ठ एवं कनिष्ठ अधिकारियों के वाहन भात्तों में वृद्धि करने हेतु ।

विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि विकास-प्राधिकरण की सेवा हेतु अपने निजी मोटर कार का उपयोग करने वाले अधिकारियों को रु० 325/- प्रतिमाह वाहन भात्ता तथा समस्त अन्य अधिकारियों/कर्मचारियों को प्राधिकरण की सेवा हेतु निजी मोटर साइकिल/स्कूटर आदि का उपयोग करने हेतु रु० 120/- प्रतिमाह वाहन भात्ता दिया जाये लेकिन किसी भी अन्य संस्था का मानक नहीं रखा जायेगा ।

विषय संख्या: 15

निर्णय :

चतुर्थ श्रेणी वर्ग के पदों के सृजन के सम्बन्ध में समयभाव के कारण विषय आगामी बैठक हेतु स्थगित किया गया ।

विषय संख्या: 16

निर्णय :

भूखण्ड संख्या-2, फोरसिथा मार्ग, लालबाग के भू-उपयोग परिवर्तन के सम्बन्ध में ।

निर्णय लिया गया कि प्रस्ताव शासन को भू-उपयोग परिवर्तन हेतु भोज दिया जाये ।

विषय संख्या: 17

निर्णय :

भू-उपयोग परिवर्तन हेतु परिवर्तन शुल्क एवं विकास शुल्क के सम्बन्ध में ।

विचारोपरान्त प्रस्ताव स्वीकृत किया गया ।

विषय संख्या: 18

लखनऊ विकास प्राधिकरण की स्थापना से पूर्व नगर महापालिका द्वारा कालोनियों में निर्मित भावनों के विक्रय के सम्बन्ध में ।

निर्णय :

विचारोपरान्त निम्न संधानों के साथ प्रस्ताव स्वीकृत किया गया :

- 1- नजूल भूमि पर बने भावनों को नहीं बेचा जायेगा ।
- 2- भावन की विक्री आवन्टी की स्वेच्छा से की जायेगी और किसी आवन्टी को बाध्य नहीं किया जायेगा ।
- 3- भावनों का विक्रय कैश डाउन के आधार पर किया जायेगा और पूर्ण मूल्य छः माह में वसूल किया जायेगा ।

विषय संख्या: 19

रेल नगर योजना की स्वीकृति के सम्बन्ध में

निर्णय :

प्रस्ताव स्वीकार किया गया ।

विषय संख्या: 20

कैशालोन योजना के अन्तर्गत कानपुर रोड एवं गोमती नगर में विकसित भूखण्डों पर भावन निर्माण हेतु हडको से ऋण प्राप्त करने की स्वीकृति के सम्बन्ध में ।

निर्णय :

प्रस्ताव स्वीकार किया गया ।

विषय संख्या: 21

कानपुर रोड योजना के सेक्टर "एच" में 483 एक कमरे वाले भावनों हेतु हडको से ऋण प्राप्त करने के सम्बन्ध में ।

निर्णय :

प्रस्ताव स्वीकार किया गया ।

ह0/-

॥ गोविन्दन नायर ॥  
उपाध्यक्ष

ह0/-

॥ शैलेश कृष्ण ॥  
सचिव

अ नु मो दि त

=====

ह0/-

॥ राम कृष्ण ॥

आयुक्त

लखनऊ मण्डल एवं

अध्यक्ष

लखनऊ विकास प्राधिकरण  
लखनऊ ।